

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 123/2024

दिनांक 06.09.2024

परिवादी :- श्री उमेश बेदी पुत्र स्व० श्री रघुवीर सिंह बेदी, निवासी-आदर्श नगर, मुखिया गली, भूपतवाला, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

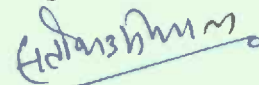
श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री उमेश बेदी पुत्र स्व० श्री रघुवीर सिंह बेदी, निवासी-आदर्श नगर, मुखिया गली, भूपतवाला, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 6920142058343, विद्युत भार 02 किवा, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल जुलाई और अगस्त 2023 में ज्यादा आया, जिसकी उन्होंने सितम्बर 2023 में शिकायत की और चैक मीटर लगाने के लिये ₹ 118.00 विभाग में जमा कराये। लगभग छह माह के पश्चात उनके यहां चैक मीटर लगाने हेतु कर्मचारी आए और उनको कहा गया कि उनके मीटर में रीडिंग साफ नहीं (कटी फटी) दिखाई दे रही है जबकि मीटर रीडर उनके यहां हर माह रीडिंग का बिल भेज रहा था। उनको कहा गया कि तुम चैक मीटर के स्थान पर नया मीटर बदलवा लो जिससे उनका अगला बिल नये मीटर की रीडिंग के अनुसार पिछले जुलाई 2023 से ठीक कर दिया जायेगा। उनके यहां नया मीटर 21 मार्च 2024 को लगा दिया गया और सिलिंग रिपोर्ट भी दी गयी जिसमें मीटर में रीडिंग कटी फटी दर्शाई गयी। उनके यहां 17 मई 2024 को नये मीटर में रीडिंग 309 थी और 25 जून को रीडिंग 900 थी। 17 मार्च से 25 जून तक लगभग तीन महीने 10 दिन में रीडिंग 900 आई। जब उनके मीटर में रीडिंग कटी फटी आ रही थी तब भी ऑफिस में उनके मीटर की रीडिंग पोस्ट कर दी गयी। अगर रीडिंग दिखाई दे रही थी तो उनके यहां चैक मीटर क्यों नहीं लगाया गया। वह लगभग पिछले 2 माह से विद्युत कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनका बिल ठीक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 5 अक्टूबर 2023 में जब बिल ₹ 15,990.00 का आया था तो उन्होंने ₹ 6,100.00 जमा कराये थे। उनको बताया गया कि बिल लगभग ₹ 6,000.00 का बनेगा। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सरचार्ज (ब्याज) को हटाकर बिल संशोधित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1628 दिनांकित 03.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के संयोजन संख्या-6920142058343 की बिलिंग हिस्ट्री का संज्ञान लेने पर ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर-533256 पर दिनांक-13.02.2024 को जारी विद्युत बीजक मीटर यूनिट पर निर्गत किया गया है जिसकी पुष्टि मीटर की फोटो से भी कर



क्रमशः.....02

ली गयी है। उक्त में यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त शिकायतकर्ता द्वारा अपने पूर्व स्थापित विद्युत मीटर पर चैक मीटर स्थापित कराने हेतु आवेदन किया गया, जिसके उपरान्त विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार द्वारा चैक मीटर स्थापित करने के दौरान उपरोक्त मीटर में रीडिंग स्पष्ट न होने के कारण पूर्व मीटर की रीडिंग का शत प्रतिशत आंकलन नहीं किया जा सकता था, जिस कारण पूर्व मीटर को बदलकर नया मीटर स्थापित किया गया। उपरोक्त शिकायत के अनुक्रम में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, भूपतवाला, हरिद्वार ने उनके अधीनस्थ अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान में उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर यू868704 में सत्यापित रीडिंग-1190 कैंडब्ल्यूएच एवं एमडी-5.126 दर्शित हो रही है, उक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार का प्रयोग किया जा रहा है। अतः शिकायतकर्ता के बीजकों में दर्शित रीडिंग के बीजक सही हैं एवं न ही किसी प्रकार की त्रुटि है तथा उपरोक्त बीजक में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री उमेश बेदी को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 23.09.1999 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.07.2024 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा, दिनांक 13.04.2023 से दिनांक 11.08.2023 तक, लगभग 04 माह की अवधि में कुल 1283 (17910-16627) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 04 माह की अवधि में लगभग 321 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 11.08.2023 से दिनांक 13.02.2024 तक, लगभग 06 माह की अवधि में कुल 6496 (24406-17910) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 06 माह की अवधि में लगभग 1083 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि पूर्व में दर्ज 321 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 337.38 प्रतिशत अधिक है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। इसी परिपेक्ष्य में परिवादी द्वारा मीटर संख्या-533256 की शुद्धता जांचे जाने हेतु एक शिकायत दर्ज की गई, परंतु उक्त मीटर की डिस्प्ले अपठित होने के परिणामस्वरूप परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित नहीं किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या-533256 को दिनांक 21.03.2024 को मीटर संख्या-यू868704 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नये मीटर संख्या-यू868704 पर दर्ज विद्युत खपत के अनुसार परिवादी द्वारा, दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 14.07.2024 तक, लगभग 3.76 माह की अवधि में कुल 1096 यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त 3.76 माह की अवधि में परिवादी द्वारा 292 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है, जो कि पूर्व में आगणित 321 तथा 1083 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में क्रमशः 9.03 एवं 73.04 प्रतिशत कम है। इसी क्रम में मंच द्वारा, मीटर संख्या-533256 की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश विपक्षी विभाग को दिए गए परंतु विपक्षी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मीटर की एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 10.09.2023 से दिनांक 13.02.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.08.2023 से दिनांक

होम अभियन्ता

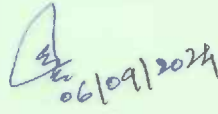
क्रमशः.....03

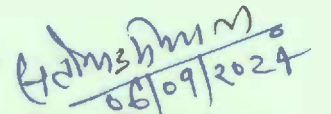
13.02.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर परिवादी को विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 10.09.2023 से दिनांक 13.02.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.08.2023 से दिनांक 13.02.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर परिवादी को विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (विद्युत)

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 124 / 2024

दिनांक 06.09.2024

परिवादी :- डा० श्री विवेक कुमार गर्ग पुत्र श्री आर० एस० गर्ग, निवासी-टाइप-2, फ्लैट नं०-2, सी०एच०सी० नारसन, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी डा० श्री विवेक कुमार गर्ग पुत्र श्री आर० एस० गर्ग, निवासी-टाइप-2, फ्लैट नं०-2, सी०एच०सी० नारसन, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या आरडी1एन115201168 विद्युत भार 04 कि०वा० के सन्दर्भ में कागज सं०-1 मय संलग्नक 2,3 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसका यह विद्युत कनेक्शन दिनांक 11.11.2020 को चालू हुआ था। इस दौरान कोरोना का दौर भी रहा था। माह जनवरी 2021 से माह मार्च 2022 तक उसके कनेक्शन का बीजक मीटर यूनिट पर आया है। माह मार्च 2022 व माह जनवरी 2022 में विद्युत खपत बहुत ज्यादा दर्ज की गयी है जब उसने माह मई 2022 में इस विसंगति के लिये मीटर रीडर से पूछा तो मीटर रीडर द्वारा त्रुटि के लिये खेद व्यक्त करते हुये विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग पर माह मई 2022 का बिल जारी कर दिया और जब बिल प्रार्थी उपभोक्ता को दिया तो बिल आरडीएफ में था। मीटर रीडर द्वारा तब कहा गया कि वह कार्यालय में जाकर आरडीएफ का बिल ठीक करवा देगा। खेद के साथ व्यक्त है कि माह मई 2022 से लेकर आज माह मई 2024 तक पूरे 02 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन यह त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल ठीक नहीं हुआ है। दिनांक 01.08.2023 को उसने रू० 16,000.00 भी जमा करवाये हैं ताकि उसको डिफाल्ट न बना दिया जाये। अतः उसने मंच से UERC (Standards of Performance) Regulation 2007 के तहत Relief दिलवाते हुये उचित बिल जारी करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने कागज सं०-8 मय संलग्नक 9,10,11,12,13 प्रस्तुत कर अपने पत्र संख्या 3875 दिनांकित 30.07.2024 द्वारा कथन किया कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी1एन115201168 डा० विवेक कुमार

क्रमशः.....02

गर्ग पुत्र श्री आर० एस० गर्ग के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 04 कि०वा० दिनांक 11.11.2020 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या आरडी1एन115201168 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 96226115 में दिनांक 10.07.2024 को रीडिंग 4744 के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी1एन115201168 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 20,021.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया गया अपेक्षित है।

-विवेचना-

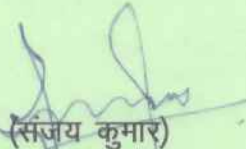
मंच द्वारा सुनवाई के समय परिवादी की अनुपस्थिति रही। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

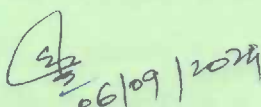
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का परिवार उसके विद्युत बिल सही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसके जवाब में विपक्षी ने कथन किया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 96226115 में दिनांक 10.07.2024 को रीडिंग 4744 के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी1एन115201168 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 20,021.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया गया अपेक्षित है जिसपर परिवादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और न ही परिवादी उपस्थित आया है जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी को संशोधित धनराशि पर कुछ नहीं कहना है।

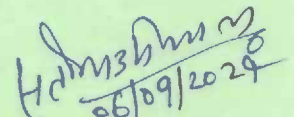
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बिल को संशोधन कर दुरुस्त कर दिया गया है। तदनुसार परिवार का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बिल को संशोधन कर दुरुस्त कर दिया गया है। तदनुसार परिवार का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 126/2024

दिनांक: 20.09.2024

परिवादी :- श्री धर्म सिंह पुत्र श्री सुग्गन सिंह, निवासी-हल्लूमाजरा, पोस्ट व तहसील-भगवानपुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भगवानपुर, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री सुग्गन सिंह, निवासी-हल्लूमाजरा, पोस्ट व तहसील-भगवानपुर, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या बीएच9डी392721156 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह नलकूप संयोजन श्री धर्म सिंह के नाम पर है। वह प्रत्येक बिल का भुगतान नियत दिनांक पर करते चले आ रहे हैं। उन्होंने दिनांक 26.07.2023 को उक्त खाते में 10,600.00 रु० के बिल का भुगतान काउण्टर पर किया, लेकिन संग्रहकर्ता द्वारा उक्त बिल की रसीद श्री योगेश पुत्र धर्म सिंह के खाता नं० 41900298331 में दर्ज करते हुए रसीद जारी की। उनके द्वारा उक्त रसीद जमा करने के बाद भी जब उनके बिल में डिडक्शन नहीं हुआ तो श्रीमान के कार्यालय में संग्रहकर्ता को तथ्यों की जानकारी दी, लेकिन विभाग संग्रहकर्ता, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चूंकि उनका नाम तथा गलती से रसीद पर डाले गये खाता सं० 41900298331 के पिता का नाम भी श्री धर्म सिंह ही है। वह चाहते हैं कि मामले की जांच पड़ताल कर उनके भुगतान की रसीद पर डाले गये गलत खाता नं० 41900298331 को निरस्त कर सही खाता सं० 40116939519 में रु० 10,600.00 मय ब्याज हस्तान्तरित किया जाये एवं संग्रहकर्ता द्वारा उपभोक्ता के साथ किये गये दुर्व्यवहार पर कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके द्वारा जमा रसीद पर गलती से डाले गये खाता सं० 41900298331 को रिकॉल करवाकर जमा धनराशि रु० 10,600.00 मय ब्याज उनके विद्युत खाता सं० 40116939519 में ट्रांसफर करने तथा संग्रहकर्ता द्वारा उपभोक्ता के साथ किये दुर्व्यवहार पर कार्यवाही की जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 3381 दिनांकित 22.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री धर्म सिंह का एक निजी नलकूप विद्युत संयोजन संख्या बीएच9डी392721156, स्वीकृत भार 08 एचपी दिनांक 21.04.2012 से उर्जीकृत है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने परिवाद पत्र के साथ धनराशि रु० 10,000.00 मैनुअल रसीद संख्या 1000535/21 दिनांक 31.03.2024 संलग्न की गई है, जिसकी ऑनलाईन रसीद संख्या 95860030424030841 जारी करते हुए उपभोक्ता श्री धर्म सिंह के खाते में जमा किये गये हैं, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता श्री धर्म सिंह के खाता विवरण से भी होती है। शिकायतकर्ता द्वारा एक अन्य घरेलू विद्युत संयोजन संख्या बीएच1बी411189060, स्वीकृत भार 02 किवा के सापेक्ष धनराशि रु० 10,600.00 मैनुअल रसीद संख्या एच084154/06, दिनांक

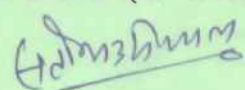
क्रमशः.....02

26.07.2023 अपने परिवाद पत्र में संलग्न की गई है जो कि सम्बन्धित उपभोक्ता श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, भगवानपुर द्वारा भुगतान किया गया है जिसकी ऑनलाईन रसीद संख्या 9552426071307070001 जारी करते हुए उपभोक्ता श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, भगवानपुर के खाते में जमा किये गये हैं। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित उपभोक्ता श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह के खाता विवरण से भी होती है। शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि रू० 10,600.00 को विद्युत संयोजन संख्या बीएच9डी392721156 के सापेक्ष जमा किया जाने का दावा किया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से असत्य एवं निराधार है जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, भगवानपुर द्वारा भी पत्र के माध्यम से की गयी है। उपरोक्त तथ्यों एवं उपखण्ड अधिकारी, भगवानपुर के कार्यालय पत्रांक 1028 दिनांक 07.08.2024, से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा जमा की गई धनराशि उसी उपभोक्ता के संयोजन के सापेक्ष जमा की गई हैं। आपके संज्ञान में लाना है कि श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, भगवानपुर शिकायतकर्ता श्री धर्म सिंह पुत्र श्री फगन सिंह का पुत्र है तथा परिवाद पत्र में उल्लेखित दोनों संयोजन शिकायतकर्ता से सम्बन्धित है। शिकायतकर्ता द्वारा माननीय मंच के सम्मुख असत्य एवं निराधार तथ्य रखते हुए विभागीय कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाते हुए माननीय मंच को भ्रमित करने का प्रयास किया है साथ ही माननीय मंच का बहुमूल्य समय खराब करते हुए विभागीय छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया है। उक्त के अनुक्रम में विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक 5712 दिनांक 05.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण पर विस्तृत जांच हेतु शिकायतकर्ता को खण्ड कार्यालय में बुलाया गया जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा परिवाद पत्र में अंकित दोनों विद्युत संयोजन, स्वयं शिकायतकर्ता के होना स्वीकार किया गया तथा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि जो उनके द्वारा धनराशि रू० 10,600.00 जमा किये गये थे वह भगवानपुर में स्थित उनके अन्य विद्युत संयोजन बीएच1बी411189060 में जमा है जिससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री मो० उस्मान उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के नाम विद्युत संयोजन संख्या- बीएच9डी392721156, 08 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 21.05.2012 से गतिमान है। परिवादी द्वारा, दिनांक 03.01.2024 को जारी विद्युत बिल के सापेक्ष, रू० 10,000.00 का भुगतान, रसीद संख्या-आई000535/21 (9586003042403080041) के माध्यम से, दिनांक 31.03.2024 को किया गया है जिसका विवरण परिवादी के विद्युत संयोजन खाते में दर्ज है। परिवादी के कथनानुसार परिवादी द्वारा, रू० 10600.00 का भुगतान, उक्त विद्युत संयोजन संख्या-बीएच9डी392721156 के सापेक्ष जारी बिलों की धनराशि के रूप में की गई है परंतु विपक्षी विभाग द्वारा त्रुटिवश, उक्त रू० 10600.00 की धनराशि, श्री योगेश के संयोजन संख्या-बीएच1बी411189060 के खाते में दर्ज की गई है। प्रश्नगत रू० 10600.00 की धनराशि का भुगतान प्राप्त होने पर, विपक्षी विभाग द्वारा, रसीद संख्या-एच084154/06 (9552426072307070001), दिनांक 26.07.2023, श्री योगेश के नाम से जारी किया गया है तथा उक्त धनराशि का समायोजन, श्री योगेश पुत्र श्री धर्म सिंह के विद्युत संयोजन संख्या-बीएच1बी411189060 से संबंधित खाते में किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5712 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के पत्रांक शून्य दिनांक 05.09.2024 के अनुसार, प्रश्नगत रू० 10600.00 की धनराशि, परिवादी के अन्य परिसर पर संयोजित उक्त विद्युत संयोजन संख्या-बीएच1बी411189060 के संबंधित खाते में दर्ज है तथा इस मामले में अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।



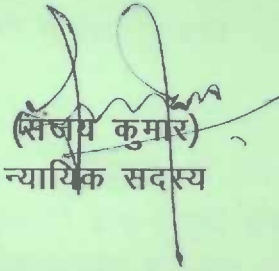
क्रमशः.....03

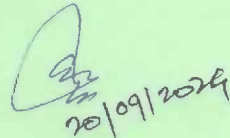
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी द्वारा जमा की गई रू० 10600.00 की धनराशि का भुगतान, परिवादी के ही अन्य परिसर पर गतिमान विद्युत संयोजन संख्या-बीएच1बी411189060 के सापेक्ष जारी विद्युत बिल के विरुद्ध की गई है तथा विपक्षी विभाग द्वारा रसीद संख्या-एच084154/06 (9552426072307070001), दिनांक 26.07.2023 को जारी किए जाने में कोई भी त्रुटि, विपक्षी विभाग द्वारा नहीं की गई है। मंच द्वारा परिवादी से यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में गलत तथ्यों के आधार पर कोई भी शिकायत दर्ज कराने से बचे ताकि विपक्षी विभाग तथा मंच के समय को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

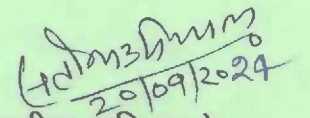
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


20/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


20/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (विद्युत)

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 127 / 2024

दिनांक-06.09.2024

परिवादी :- श्री तोहिद पुत्र श्री शकील, निवासी-मोहल्ला सैनीपुरा, मालियान, मंगलौर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री तोहिद पुत्र श्री शकील, निवासी-मोहल्ला सैनीपुरा, मालियान, मंगलौर, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721092238 के सन्दर्भ में शिकायत कागज स०-1 मय संलग्नक कागज स०-2,3, प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसको माह दिसम्बर के बाद से गलत बिल भेजे गये जिसमे गलत धनराशि रू० 1,48,704.00 दिसम्बर 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 मे भी एक लाख रुपये धनराशि के गलत बिल भेजे गये जिन्हे माननीय मंच के आदेश पर विभाग द्वारा ठीक तो कर दिया गया लेकिन विभाग ने दिसम्बर 2023 से मार्च 2024 तक के गलत बिलों की धनराशि पर एएसडी 30914 कैलकुलेट की जोकि गलत है और विभाग की लापरवाही है, इस एएसडी अमाउंट को विभाग ने किस्तों मे उसके बिलो मे 2508 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जोडनी शुरू कर दी है यह विभाग द्वारा सेवा मे कमी है। अतः ए.एस.डी धनराशि सही कराने और विभाग पर सेवा मे कमी का दोषी मान कर कार्यवाही भी करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने जवाब (कागज स०-5 मय संलग्नक कागज स०-6 ता 14) पत्र संख्या-3877 द्वारा कथन किया कि आर.ए.पी.डी.आर.पी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721092238 श्री तोहिद पुत्र श्री शकील के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 कि०वा० दिनांक 20.08.2009 को निर्गत किया गया था। शिकायतकर्ता श्री तोहिद पुत्र श्री शकील के द्वारा मंच के समक्ष पूर्व मे दायर परिवाद स०-34/2024 में विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721092238 के सम्बन्ध मे माननीय मंच द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2024 को निर्गत किया गया था, जिसके सापेक्ष आदेश का अनुपालन करते हुए बीजक संशोधित कर दिया गया था। विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721092238 के प्रति माह के बीजक मे कोई अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि नहीं

क्रमशः.....02

लगायी जा रही है। माह 11/2023 से माह 06/2024 तक के बीजकों की प्रतिलिपि आपके समक्ष सादर उपलब्ध करायी जा रही है।

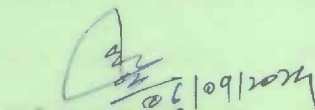
विवेचना

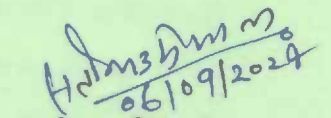
मंच द्वारा सुनवाई के समय परिवादी की अनुपस्थित रही। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का परिवाद उसके विद्युत बिल ए.एस.डी. जोड़े जाने के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके जवाब में विपक्षी ने कथन किया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721092238 के प्रति माह के बीजक में कोई अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि नहीं लगायी जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा माह 11/2023 से माह 06/2024 तक के बीजकों की प्रतिलिपि कागज सं०-6,7,8,9 पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, जिनसे विपक्षी के कथन को बल मिलता है। परिवादी कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे द्वारा ए.एस.डी. का भुगतान किया जाना साबित होता हो। ए.एस.डी. का लिया जाना एक विभागीय प्रक्रिया है जिसका भुगतान नियमानुसार उपभोक्ता द्वारा करना होता है। प्रश्नगत परिवाद में परिवादी द्वारा ए.एस.डी. का भुगतान ही नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा बिना किसी कारण व आधार के यह परिवाद प्रस्तुत किया है। मंच की राय में परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 128/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री नाजिम पुत्र श्री मनसूर अली, ग्राम-भुक्कनपुर, पोस्ट-लण्ढौरा, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नाजिम पुत्र श्री मनसूर अली, ग्राम-भुक्कनपुर, पोस्ट-लण्ढौरा, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0-RD2L126828439 भार 04 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनको माह दिसम्बर 2022 को 16,000 रीडिंग तक का बिल दिया गया था। जबकि उस समय उनके मीटर में इतनी अधिक रीडिंग नहीं थी। उसके बाद उनको कई माह तक कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद माह जून 2023 से आरडीएफ का बिल दिया जा रहा है। इस बीच उनके द्वारा दो बार माह मार्च 2023 में रू0 29,100.00 तथा माह अक्टूबर 2023 में रू0 95,634.00 विभाग में जमा कराया गया है और वह इस बिल को ठीक कराने के लिए सम्बन्धित कार्यालय लण्ढौरा में भी कई बार सम्पर्क कर चुके हैं। उनके सम्पर्क करने पर कई बार मीटर की एमआरआई करा ली गई है। लेकिन आज तक भी उनका बिल ठीक नहीं किया गया है। उनको आखिरी बार दिनांक 12.06.2024 को आरडीएफ के आधार पर रू0 57,602.00 का बिल दिया गया था। इसके बाद माह जुलाई 2024 तथा माह अगस्त 2024 में अभी तक कोई बिल नहीं दिया गया और न ही उनका बिल ठीक किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि रीडिंग के आधार पर उनका बिल सही करवाने एवं उनके द्वारा विद्युत विभाग में जो अधिक पैसा जमा किया गया है उसे वापस करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4642 दिनांकित 07.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD2L126828439, श्री नाजिम पुत्र श्री मनसूर अली, ग्राम-भुक्कनपुर, पोस्ट-लण्ढौरा, रुड़की, जिला हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 04 कि0वा0, दिनांक 26.11.2024 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L126828439 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 600 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या RD2L126828439 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 15685683 में दिनांक 16.08.2024 को ली गई एमआरआई रिपोर्ट में 18506 कैंडब्ल्यूएच रीडिंग पाई गयी। जिसके आधार पर माह 01/2022 से माह 08/2024 तक बीजक संशोधित कर दिया गया। विद्युत संयोजन संख्या RD2L126828439 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. -72,676.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के अग्रिम बीजकों में समायोजित कर दिया जायेगा।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 04 किलोवोट विद्युत भार पर दिनांक 26.11.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.06.2021 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं तदपश्चात दिनांक 04.09.2021 से दिनांक 18.12.2022 तक, लगातार, 7 बिलिंग चक्रों के लिए, एनआर/आरडीएफ आधार पर, दिनांक 18.10.2022 को एमसी आधार पर तथा दिनांक 27.06.2023 से दिनांक 12.06.2024 तक, लगातार 12 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। परिवादी के संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-96263202 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, मीटर संख्या-15685683 द्वारा, दिनांक 08.12.2021 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त नये मीटर संख्या-15685683 को, लगभग 12 माह के विलंब से, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन से संबंधित खाते में दर्ज किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री तथा एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन किए जाने पर विदित होता है कि वर्तमान में परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-15685683 पर, दिनांक 08.12.2021 से दिनांक 01.08.2024 तक, लगभग 31.76 माह की अवधि में कुल 18506 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 31.76 माह की अवधि में आंकलन के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए कुल 47687 यूनिट का विद्युत बिल, परिवादी को जारी किया गया है जो कि उक्त 18506 यूनिट की तुलना में 157.8 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4642 दिनांक 07.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-15685683 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग 18506 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आंकलन के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-15685683 पर दर्ज, वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आंकलन के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-15685683 पर दर्ज, वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित करने के चलते परिवादी की शिकायत का समाधान करने के फलस्वरूप यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 129/2024

दिनांक : 06.09.2024

परिवादी :- श्री नाजिम वास्ते श्रीमती हसीबा, ग्रा० भुक्कनपुर, पोस्ट-लण्ढौरा, तहसील-रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

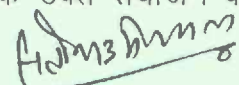
श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नाजिम पुत्र श्रीमती हसीबा, ग्रा० भुक्कनपुर, पोस्ट-लण्ढौरा, तहसील-रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०—RD9L196520860, भार 10 एच०पी०, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह समय से उनके नलकूप के बिलों का भुगतान करता चला आ रहा है। उनके द्वारा माह मार्च 2023 में 21093 रीडिंग तक के सापेक्ष रू० 24,500.00 का पूरा बिल जमा कर दिया गया था। इसके बाद उनको माह जुलाई 2023 में बिना रीडिंग का बिल दिया गया, जिसे लेकर वह कार्यालय में गए लेकिन वहां उनका बिल ठीक नहीं किया गया और बोला गया कि आपका अगला बिल रीडिंग के अनुसार बना दिया जायेगा। इसके बाद उनको माह जनवरी 2024 में आईडीएफ के आधार पर रू० 1,01,596.00 का बहुत अधिक धनराशि का बिल दिया गया। इस बिल को लेकर भी वह ठीक कराने के लिए कार्यालय में गए लेकिन बिल अब तक ठीक नहीं किया गया, जबकि उनका मीटर सही चल रहा है और विभाग द्वारा बिल बनाने से पहले उनके मीटर की एमआरआई भी कराई गई है, लेकिन आज तक भी उनका बिल ठीक नहीं किया गया। इसके बाद दिनांक 08.08.2024 को उनके मोबाइल पर बिल का संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उनका बिल बहुत अधिक धनराशि रू० 1,75,851.00 दिखाया गया था। क्योंकि विभाग द्वारा 18 माह का बिल बिना रीडिंग के, रू० 1,75,851.00 का दिया गया है जबकि उनकी, अधिक से अधिक, 6 माह की खपत 5,000 यूनिट तक ही है। इससे ऐसा लगता है कि विभाग द्वारा जानबूझकर उपभोक्ता का मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है क्योंकि बिल ठीक कराने को लेकर वह कार्यालय में कई बार जा चुके हैं लेकिन फिर भी उनका बिल ठीक नहीं किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि रीडिंग के आधार पर उनका बिल सही करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4174 दिनांकित 17.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी9एल196520860 श्रीमती हसीबा पत्नी श्री अब्दुल्ला के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु 10 एच०पी० भार में दिनांक 01.01.2001 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन आरडी9एल196520860 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के उक्त संयोजन का विद्युत बिल

 क्रमशः.....02

एमआरआई के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उक्त संयोजन का बीजक एमआरआई के आधार पर संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 18,198.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नाजिम तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

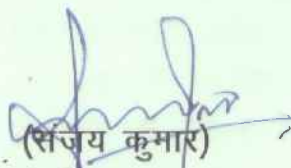
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एचपी भार में दिनांक 01.01.2001 से उनकी माता श्रीमती हसीबा के नाम से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.01.2023 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 15.07.2023 को एनआर आधार पर, दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ तथा दिनांक 08.08.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2023 तथा दिनांक 30.12.2023 को क्रमशः एनआर व आईडीएफ आधार पर अनंतिम विद्युत बिल जारी किए गए हैं जबकि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-जी8800276, सही रूप से कार्यशील है तथा परिवादी द्वारा उक्त संयोजन के माध्यम से की गई विद्युत खपत की मात्रा मीटर पर दर्ज की गई है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एमआरआई रिपोर्ट से होती है।

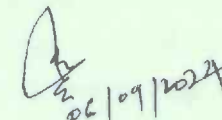
पत्रावली में उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, प्रश्नगत मीटर संख्या-जी8800276 पर दिनांक 01.08.2024 को रीडिंग 28679.686 केडब्लूएच दर्ज है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्र संख्या-4174 दिनांक 17.08.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति से होती है।

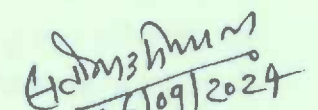
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा एमआरआई रिपोर्ट पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा एमआरआई रिपोर्ट पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 131/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री इसरार अहमद पुत्र श्री जहूर हसन, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

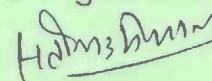
निर्णय

परिवादी श्री इसरार अहमद पुत्र श्री जहूर हसन, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9L292670915 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल काफी समय से आईडीएफ का आ रहा है। माह दिसम्बर 2023 का बिल आईडीएफ के आधार पर ही बहुत ज्यादा रू0 89,929.00 का भेज दिया गया है और मीटर बदलने के बाद भी बिल ठीक नहीं किया गया है और साथ ही दूसरा बिल रू0 1,88,089.00 का विभाग द्वारा भेजा गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री शहजाद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4693 दिनांकित 09.09.2024 द्वारा, मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD9L292670915 श्री इसरार अहमद पुत्र श्री जहूर, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजि नलकूप उपयोग हेतु 10 एच0पी0 दिनांक 27.08.2003 को निर्गत किया गया था। आरएपीडीआरपी प्रणाली में निजि नलकूप के बीजक बनाने/संशोधन संबंधित पोर्टल वर्तमान में बन्द हो जाने के कारण विद्युत संयोजन संख्या RD9L292670915 का बीजक पिछले दो एमयू के आधार पर बीजक को संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 37,352.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

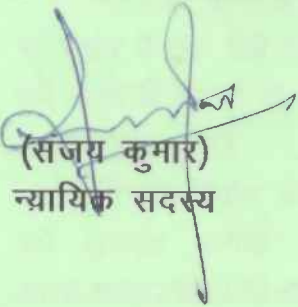
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

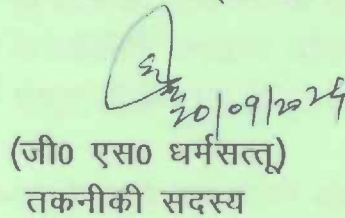
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एच०पी० भार पर दिनांक 27.08.2003 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.07.2021 तक एमयू आधार पर तदपश्चात् दिनांक 02.01.2022 से दिनांक 30.12.2023 तक आईडीएफ आधार पर तथा दिनांक 16.07.2024 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-002328 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 15.05.2024 को, मीटर संख्या-9573027 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा, दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 08.07.2021 तक लगभग 18 माह की अवधि में 5944 (92114-86170) यूनिट विद्युत की खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 18 माह की अवधि में, लगभग 330 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.07.2021 से दिनांक 15.05.2024 तक, लगभग 34 माह की अवधि हेतु, आंकलन के आधार पर कुल 76622 यूनिट की खपत का बिल परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त 34 माह की अवधि हेतु, लगभग 2254 यूनिट प्रति माह की दर से, आंकलन के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि उक्त 330 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 583.03 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दोषपूर्ण मीटर संख्या-002328 के सापेक्ष विद्युत खपत की अत्यधिक मात्रा का आंकलन करते हुए, विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4693 दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को, आंकलन के आधार पर जारी विद्युत बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज औसत खपत के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा दाखिल की गई लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

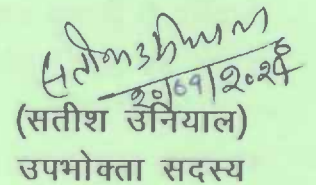
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, आंकलन के आधार पर परिवादी को जारी अनंतिम बिलों को, पूर्व में वास्तविक खपत (एमयू) के आधार पर जारी बिलों में दर्ज, औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 143/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री यशवेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल, ग्राम व पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री यशवेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल, ग्राम व पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने नये निजी नलकूप के लिए दिनांक 03.04.2024 को आवेदन किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 52603042001 है। इसके बाद विभाग द्वारा आवेदन की जांच पूरी होने पर उनसे आवेदन शुल्क की डिमांड की गई जिसे उन्होंने रु० 2600.00, रसीद संख्या 14417280624डब्ल्यूएस990006 के द्वारा जमा कराया गया है, परन्तु इस आवेदन को बाद में निरस्त कर दिया गया जिसका कारण विभाग के कर्मचारी ने गलत सर्वे रिपोर्ट बताया है। इसके बाद उन्होंने दोबारा 12.07.2024 को आवेदन किया, जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 526120724001 है और इस हेतु रु० 8,600.00 भी जमा कर दिए गए हैं जिसकी रसीद संख्या 3441724072420200004-2024 है परन्तु उनको नया विद्युत कनेक्शन की सप्लाई अभी तक नहीं दी गई है जिसके कारण उनके खेत में रूपाई की गई धान की फसल बिना पानी के खराब हो रही है और उनका दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको नया कनेक्शन लगवा दिया जाए एवं पूर्व में जमा की गयी धनराशि को लौटा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री यशवेन्द्र सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4528 दिनांकित 03.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि श्री यशवेन्द्र पुत्र श्री चन्द्रपाल के द्वारा 08 एच०पी० भार के निजी नलकूप

क्रमशः.....02

हेतु आवेदन के सापेक्ष समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 30.08.2024 को आवेदक श्री यशवेन्द्र पुत्र श्री चन्द्रपाल के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु, विद्युत मापक संख्या 9579006 स्थापित कर, विद्युत संयोजन संख्या आरडी9एफ291725433 को निर्गत कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी21508153178 के विवरण की प्रतिलिपि माननीय मंच के समक्ष सादर प्रेषित है।

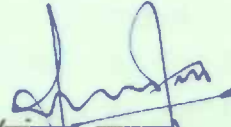
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

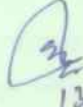
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, निजी नलकूप के प्रयोगार्थ, विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु विपक्षी कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन को पंजीकरण संख्या-210304245594 के माध्यम से दिनांक 03.04.2024 को पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में परिवादी द्वारा, सुरक्षा जमा राशि तथा सेवा लाइन शुल्क मद में क्रमशः ₹0 1600.00 व ₹0 1000.00 की धनराशि का भुगतान, विपक्षी विभाग को किया गया है। परंतु उक्त पंजीकरण के सापेक्ष विपक्षी विभाग द्वारा अत्यधिक विलंब से दिनांक 19.07.2024 को निरस्त किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित समायावधि में कार्यवाही न करते हुए मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 3.3.3 का उल्लंघन किया गया है। परिवादी के कथनानुसार, परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु, पुनः दिनांक 12.07.2024 को आवेदन किया गया जिसे विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या-526120724001 के माध्यम से पंजीकृत किया गया है तथा विपक्षी विभाग द्वारा जारी डिमांड नोट के सापेक्ष, ₹0 8600.00 का भुगतान, विपक्षी विभाग को किया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में सुनवाई के दौरान मंच द्वारा, नियमानुसार संयोजन निर्गत किए जाने के निर्देश विपक्षी विभाग को दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4528 दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा 08 एचपी भार पर निजी नलकूप के प्रयोगार्थ, विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएं, परिवादी द्वारा पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 30.08.2024 को विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया है।

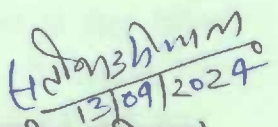
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 146/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री भरत सिंह पुत्र श्री हरध्यान सिंह, ग्राम-आमखेड़ी, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री भरत सिंह पुत्र श्री हरध्यान सिंह, ग्राम-आमखेड़ी, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9F392720795 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर सही है, परन्तु एक वर्ष से उनको आरडीएफ के बिल आ रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें रीडिंग के आधार पर बिल संशोधित करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री विपिन उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, अपने पत्र संख्या 4529 दिनांकित 03.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि 'आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या-RD9F392720795 श्री भरत सिंह पुत्र श्री हरजान सिंह के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु 08 एच०पी० दिनांक 05.11.2012 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 8800603 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. -350.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के अग्रिम बीजक में समायोजित कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का

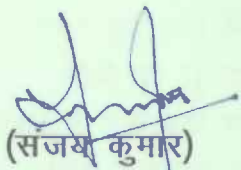
क्रमशः.....02

यह विद्युत संयोजन 08 एच0पी0 भार पर दिनांक 05.11.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 15.07.2023 को एनआर तथा दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 06.07.2024 तक आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 15.07.2024 को आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिल में, दिनांक 30.12.2022 से दिनांक 30.12.2023 तक, 12 माह की अवधि हेतु कुल 30256 यूनिट की विद्युत खपत का आंकलन किया गया है, जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत से अत्यधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-8800603 के दोषरहित होने के बावजूद, आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए जाने का कथन किया गया है। इसी परिपेक्ष्य में मंच द्वारा विपक्षी विभाग को प्रश्नगत मीटर संख्या-8800603 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4529 दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-8800603 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, संशोधित विद्युत बिल जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

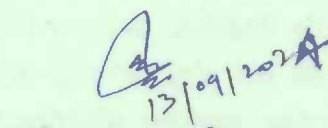
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-8800603 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी कर देते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

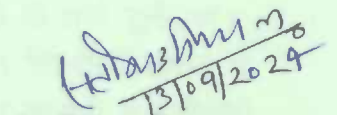

(संजय कुमार)

न्यायिक सदस्य


13/09/2024

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)

तकनीकी सदस्य


13/09/2024

(सतीश उनियाल)

उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 150/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री हनीफ पुत्र श्री बारू, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, वार्ड नं०-02, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री हनीफ पुत्र श्री बारू, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, वार्ड नं०-02, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311850121 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने अपने परिसर पर मीटर चैक करवाने हेतु चैक मीटर लगवाया था, जिसमें चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर 273 प्रतिशत फास्ट पाया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री गयूर उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4641 दिनांकित 07.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L311850121 श्री हनीफ पुत्र श्री बारू, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, वार्ड नं०-02, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 कि०वा० दिनांक 23.02.2008 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311850121 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लंडौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 725 दिनांक 04.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 07.03.2024 को पुराने मीटर के सापेक्ष चैक मीटर स्थापित कराया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर 273 प्रतिशत तेज (खराब) पाया गया। चैक मीटर के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311850121 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 4,032.00 धनराशि

क्रमशः.....02

है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

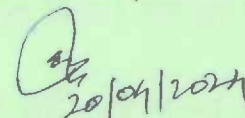
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 23.02.2008 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2024 तक एमयू आधार पर, दिनांक 25.04.2024 को एमसी तथा दिनांक 17.05.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 17.05.2024 के पश्चात, निर्धारित मासिक समायावधि के अनुसार, 03 बिलिंग चकों के लिए बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में, विद्युत खपत की मात्रा अत्यधिक दर्शाये जाने पर, परिवादी द्वारा अपनी शंका के समाधान हेतु चैक मीटर स्थापित किए जाने के संदर्भ में एक शिकायत दर्ज की गई है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2024 को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर संख्या-जीयू101039 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 21.03.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू418034, चैक मीटर की तुलना में 273 प्रतिशत तेज पाया गया है। स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू418034 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, बिल परिवादी को जारी किए गए। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा, चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, दोषपूर्ण मीटर में दर्ज खपत के आधार पर जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित किए जाने हेतु, विपक्षी विभाग को निर्देश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4641 दिनांक 07.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को, दोषपूर्ण मीटर पर दर्ज खपत के आधार पर जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

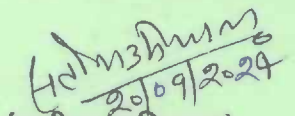
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दोषपूर्ण मीटर पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


20/04/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


20/04/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 151/2024

दिनांक : 06.09.2024

परिवादी :- श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल करीम, वार्ड नं०-5, ग्राम-पटानपुरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल करीम, वार्ड नं०-5, ग्राम-पटानपुरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD21508151521 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर पिछले आठ महीने से आरडीएफ में चल रहा है और बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है। आठ महीने से कोई समाधान नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल और मीटर सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अब्दुल समद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि ने मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में अपने तर्क रखे। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4354 दिनांकित 28.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD21508151521 श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल करीम के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 किलोवाट भार में दिनांक 04.05.2010 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक 616 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD21508151521 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या-एल80290560 की वर्तमान रीडिंग 6171 कंडब्लूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD21508151521 का बीजक संशोधित किए जाने के उपरांत रु० 12105.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 04.05.2010 से श्री शहजाद के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं तदपश्चात दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 22.07.2024 तक, लगातार 04 बिलिंग चक्रों हेतु, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधनित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल के अनुसार परिवादी द्वारा, दिनांक 21.10.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक, 23 दिनों की अवधि में कुल 2545 (7652-5107) यूनिट विद्युत की खपत की गई है जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष अत्यधिक है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी विभाग को परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-एल80290560 पर दर्ज खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को जारी किए जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2024 को किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मीटर संख्या-एल80290560 पर रीडिंग 6171 केंडब्लूएच दर्ज पाई गई है, जबकि दिनांक 14.11.2023 को मीटर रीडिंग-7652 (एफआर) के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त बिल, गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-4354 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान विद्युत मीटर संख्या-एल80290560 पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एल80290560 पर दर्ज वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 154/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री याकूब अली पुत्र श्री फजला, ग्राम-हरजौली जट राजौली जट, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

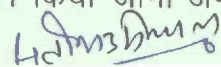
निर्णय

परिवादी श्री याकूब अली पुत्र श्री फजला, ग्राम-हरजौली जट राजौली जट, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F113022300 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके मीटर में गलत रीडिंग पोस्ट कर दी गई थी। उसके द्वारा बिल ठीक करवाने के लिए विभाग के कई चक्कर लगाये गये, परन्तु विभाग द्वारा उनका बिल आज तक सही नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री याकूब अली उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4455 दिनांकित 30.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1F113022300 श्री याकूब अली पुत्र श्री फजला, ग्रा० हरजौली जट, लण्डौरा, तहसील, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०. भार में दिनांक 14.03.1985 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1F113022300 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 645 दिनांक 29.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1F113022300 पर स्थापित विद्युत मापक सं० 71855684 की वर्तमान रीडिंग 9158 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD1F113022300 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 4366.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

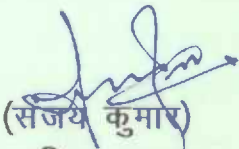
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

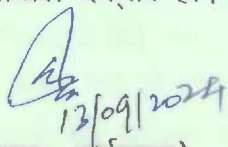
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 14.03.1985 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 14.05.2024 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 9483 केडब्लूएस दर्शायी गई है जबकि परिवादी के कथनानुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-71855684 पर दर्ज मीटर रीडिंग के अनुसार बिल जारी नहीं किया गया है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-71855684 पर दर्ज रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.08.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-71855684 पर रीडिंग/खपत 9158 केडब्लूएस दर्ज पाई गई है। अतः स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.05.2024 को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4455 दिनांक 30.08.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-71855684 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा जारी सत्यापित लेजर की प्रति से होती है।

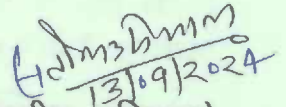
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 159 / 2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री आलम वास्ते याकूब, जे०पी० स्कूल रोड़, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

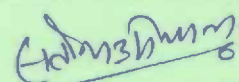
परिवादी श्री आलम वास्ते याकूब, जे०पी० स्कूल रोड़, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD21506050466 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका दिनांक 10.07.2024 से दिनांक 25.07.2024 तक पन्द्रह दिन का बिल बहुत ज्यादा आया है। वहीं अगला बिल पिछले बिल की भांति सही आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री आलम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4734 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD21506050466, श्री याकूब, मातावाला, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 03 कि० वा०, भार पर दिनांक 15.11.2007 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD21506050466 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 773 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21506050466 पर स्थापित विद्युत मापक सं० 15298179 की वर्तमान रीडिंग 8324 के०डब्ल्यू०एच० है। विद्युत मापक की रीडिंग के आधार पर बीजक सही है। विद्युत संयोजन सं० RD21506050466 का बीजक रु० 4366.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

 क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 03 किलोवाट भार पर दिनांक 15.11.2007 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.07.2024 को जारी बिल, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-15298179 पर दर्ज मीटर रीडिंग (एफआर) 7809 केडब्लूएच, के आधार पर किया गया है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के उक्त निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-15298179 पर, मीटर रीडिंग/खपत-8324 केडब्लूएच पाई गई है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.07.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग 7809 केडब्लूएच सही प्रतीत होती है। परिवादी द्वारा वर्तमान (दिनांक 25.11.2023 से दिनांक 23.07.2024 तक) में औसतन लगभग 266 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की जा रही है तथा परिवादी द्वारा पूर्व के महिनों में भी उक्त औसत विद्युत खपत- 266 यूनिट प्रतिमाह से भी अधिक विद्युत की खपत दर्ज की गई है।

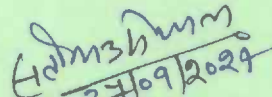
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-15298179 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


27/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


27/09/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 160/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री मौ० वाजिद पुत्र मौ० श्री मुस्तकीम, ग्राम-अकबरपुर ढाढ़ेकी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मौ० वाजिद पुत्र श्री मौ० मुस्तकीम, ग्राम-अकबरपुर ढाढ़ेकी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F311327931 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने 23.05.2023 को नया घरेलू कनेक्शन लेने हेतु रशीद कटवायी थी, रशीद कटने से लगभग 02 माह बाद उनके घर पर मीटर लगा। मीटर चालू होने पर प्रारम्भ से ही उनका बिल बढ़कर आ रहा है। उनके मीटर में रीडिंग कम है और बिल बहुत अधिक लगभग 52 हजार का आ रहा है। वह लगभग पिछले साल जून 2023 से विभाग के चक्कर काट रहे हैं परन्तु बिल ठीक नहीं हो पाया, कई बार प्रार्थना पत्र भी विभाग को दे चुके हैं परन्तु अब तक उनका बिल ठीक नहीं हो पाया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अब्दुल माजिद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4640 दिनांकित 06.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1F311327931 श्री वाजिद पुत्र श्री मुस्तकीम, ग्राम-अकबरपुर ढाढ़ेकी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 04 कि०वा० दिनांक 12.05.2023 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1F311327931 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 630

क्रमशः.....02

दिनांक 23.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD1F311327931 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 10346794 की वर्तमान रीडिंग 535 के0डब्ल्यू0एच0 के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1F311327931 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 7,200.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 04 किलोवाट भार पर, दिनांक 12.06.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 17.12.2023 से दिनांक 18.06.2024 तक, लगातार, 06 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10346794 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10346794 पर, रीडिंग/खपत 535-केडब्ल्यूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 2423 दर्शायी गई है तथा दिनांक 17.12.2023 से दिनांक 18.06.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 4400 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4640, दिनांक 06.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10346794 पर दर्ज मीटर रीडिंग 535 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-535 केडब्ल्यूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत) 80, बसंत बिहार फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 160/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री मौ० वाजिद पुत्र मौ० श्री मुस्तकीम, ग्राम-अकबरपुर ढाढ़ेकी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मौ० वाजिद पुत्र श्री मौ० मुस्तकीम, ग्राम-अकबरपुर ढाढ़ेकी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F311327931 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने 23.05.2023 को नया घरेलू कनेक्शन लेने हेतु रशीद कटवायी थी, रशीद कटने से लगभग 02 माह बाद उनके घर पर मीटर लगा। मीटर चालू होने पर प्रारम्भ से ही उनका बिल बढ़कर आ रहा है। उनके मीटर में रीडिंग कम है और बिल बहुत अधिक लगभग 52 हजार का आ रहा है। वह लगभग पिछले साल जून 2023 से विभाग के चक्कर काट रहे हैं परन्तु बिल ठीक नहीं हो पाया, कई बार प्रार्थना पत्र भी विभाग को दे चुके हैं परन्तु अब तक उनका बिल ठीक नहीं हो पाया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अब्दुल माजिद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4640 दिनांकित 06.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1F311327931 श्री वाजिद पुत्र श्री मुस्तकीम, ग्राम-अकबरपुर ढाढ़ेकी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 04 कि०वा० दिनांक 12.05.2023 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1F311327931 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 630

क्रमशः.....02

दिनांक 23.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD1F311327931 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 10346794 की वर्तमान रीडिंग 535 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1F311327931 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 7,200.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 04 किलोवाट भार पर, दिनांक 12.06.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 17.12.2023 से दिनांक 18.06.2024 तक, लगातार, 06 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10346794 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10346794 पर, रीडिंग/खपत 535-के०डब्ल्यू०एच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 2423 दर्शायी गई है तथा दिनांक 17.12.2023 से दिनांक 18.06.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 4400 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4640, दिनांक 06.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10346794 पर दर्ज मीटर रीडिंग 535 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-535 के०डब्ल्यू०एच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत) 80, बसंत बिहार फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 163 / 2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री सुधीर चौधरी वास्ते छोटन सिंह पुत्र श्री दाना राम, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सुधीर चौधरी वास्ते छोटन सिंह पुत्र श्री दाना राम, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9L292520695 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह कनेक्शन ट्यूबवेल का है, जिसका बिल बहुत अधिक आया है। उन्होंने पूरा बिल जमा किया हुआ है बावजूद इसके उनका बिल बहुत अधिक आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सुधीर चौधरी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4692 दिनांकित 09.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD9L292520695 श्री सुधीर चौधरी वास्ते छोटन सिंह पुत्र श्री दाना राम, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु 10 एच०पी० दिनांक 01.01.2001 को निर्गत किया गया था। आरएपीडीआरपी प्रणाली में निजी नलकूप के बीजक बनाने/संशोधन सम्बन्धित पोर्टल वर्तमान में बन्द हो जाने के कारण विद्युत संयोजन संख्या RD9L292520695 का बीजक पिछले दो एमयू के

क्रमशः.....02

आधार पर संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 15,856.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

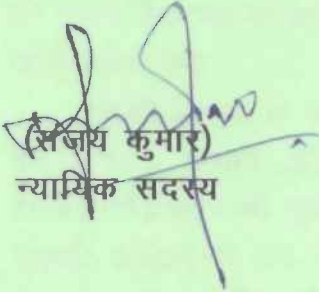
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

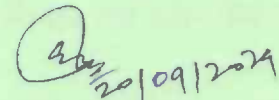
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एचपी भार पर दिनांक 01.01.2001 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2023 तक एमयू आधार पर तदपश्चात् दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर तथा दिनांक 16.07.2024 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-9541651 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 15.05.2024 को, मीटर संख्या-9573028 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा, दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 24.06.2023 तक लगभग 11.77 माह की अवधि में 10945 (13689-2744) यूनिट विद्युत की खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 11.77 माह की अवधि में, लगभग 930 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 15.05.2024 तक, लगभग 10.70 माह की अवधि हेतु, आंकलन के आधार पर कुल 58829 यूनिट की खपत का बिल परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त 10.70 माह की अवधि हेतु, लगभग 5498 यूनिट प्रति माह की दर से, आंकलन के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि उक्त 930 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 491.18 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दोषपूर्ण मीटर संख्या-9541651 के सापेक्ष, विद्युत खपत की अत्यधिक मात्रा का आंकलन करते हुए, विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4692 दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को, आंकलन के आधार पर जारी विद्युत बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज औसत खपत के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा दाखिल की गई लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

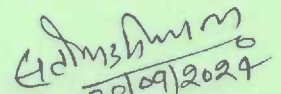
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, आंकलन के आधार पर परिवादी को जारी अनंतिम बिलों को, पूर्व में वास्तविक खपत (एमयू) के आधार पर जारी बिलों में दर्ज, औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 168/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री हनीफ पुत्र श्री मौ० अली, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-मंगलौर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

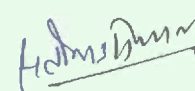
निर्णय

परिवादी श्री हनीफ पुत्र श्री मौ० अली, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-मंगलौर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9L292722368 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह कनेक्शन पी०टी०डब्ल्यू० ट्यूबवेल का कनेक्शन है, जिसका बिल रू० 1,05,114.00 आया है और उन्होंने दिनांक 23.02.2024 को रू० 15,000.00 भी जमा किये थे। उनका बिल गलत आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंदौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री इकराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4530 दिनांकित 03.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD9L292722368 मौ० हनीफ पुत्र श्री मौ० अली, ग्राम-बिझौली, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु 08 एच०पी० दिनांक 13.12.2013 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD9L292722368 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 17.03.2024 को खराब पुराना विद्युत मापक सं० 392098 के सापेक्ष नया विद्युत मापक सं० 9541652 स्थापित किया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD9L292722368 का बीजक पिछले 2 एमयू के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD9L292722368 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 13760.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 08 एच०पी० भार पर दिनांक 13.12.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 29.07.2022 से दिनांक 15.07.2023 तक एनआर तथा दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर तथा दिनांक 16.07.2024 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिल में, दिनांक 30.01.2022 से दिनांक 30.12.2023 तक, 11 माह की अवधि हेतु कुल 45282 यूनिट की विद्युत खपत का आंकलन किया गया है, जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत से अत्यधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-392098 के दोषपूर्ण होने के बावजूद, एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा उक्त दोषपूर्ण मीटर संख्या-392098 को, दिनांक 17.03.2024 को मीटर संख्या-9541652 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में मंच द्वारा, प्रश्नगत दोषपूर्ण मीटर संख्या-392098 के सापेक्ष निर्गत अनंतिम बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी को जारी किए जाने के विपक्षी विभाग को निर्देश दिए गए।

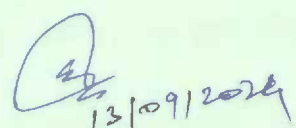
इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4530 दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष जारी अनंतिम बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

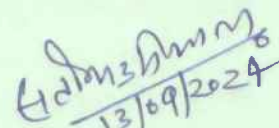
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 169 / 2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्रीमती कौसर पत्नी श्री दिलशाद, नियर बडी मस्जिद व दिलशाद प्रोविजन स्टोर, ग्राम-नगला इमरती, पोस्ट-मिलापनगर, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

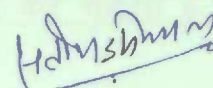
निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कौसर पत्नी श्री दिलशाद, नियर बडी मस्जिद व दिलशाद प्रोविजन स्टोर, ग्राम-नगला इमरती, पोस्ट-मिलापनगर, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L211157368 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल, मीटर रीडर द्वारा गलत बनाया गया है। उनके मीटर में मौजूद रीडिंग 1516 केडब्ल्यूएच है जबकि मीटर रीडर द्वारा बिल में 2012 केडब्ल्यूएच रीडिंग भर दी गई है। गलत बिल होने के कारण वह बिल जमा नहीं कर पा रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री दिलशाद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4456 दिनांकित 30.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या-आरडी1एल211157368 श्रीमती कौसर पत्नी श्री दिलशाद के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 25.01.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 657 दिनांक 29.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन आरडी1एल211157368 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 10222384 की

 क्रमशः.....02

वर्तमान रीडिंग 1650 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 4599.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

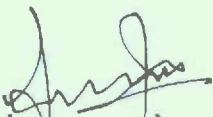
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

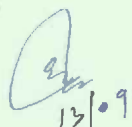
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 25.01.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.07.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 28.07.2024 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 2012 के०डब्ल्यूएस दर्शायी गई है जबकि परिवादिनी के कथनानुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10222384 पर रीडिंग 1516 के०डब्ल्यूएच दर्ज है। मंच द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत मीटर संख्या-10222384 पर दर्ज रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.08.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10222384 पर रीडिंग/खपत 1650 के०डब्ल्यूएच दर्ज पाई गई है। अतः स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 13.05.2024 से दिनांक 28.07.2024 तक, गलत मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4456 दिनांक 30.08.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-10222384 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा जारी सत्यापित लेजर की प्रति से होती है।

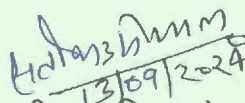
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 170/2024

दिनांक : 06.09.2024

परिवादी :- श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी श्री कलीराम, ग्राम-नात्थूखेड़ी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी श्री कलीराम, ग्राम-नात्थूखेड़ी, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD1F112084480 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका दो माह से बिल नहीं बनकर आ रहा है। वह हर माह विद्युत बिल जमा कर रही हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि रीडिंग के आधार पर उनका बिल बनवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री चेताराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4355 दिनांकित 28.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD1F112084480 श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी श्री कलीराम के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 किलोवाट भार में दिनांक 27.07.1998 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक 613 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD1F112084480 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या-यू800707 की वर्तमान रीडिंग 274 केडब्ल्यूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1F112084480 का बीजक संशोधित किए जाने के उपरांत रु० 1520.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

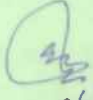
क्रमशः.....02

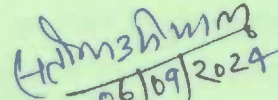
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 27.07.1998 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.08.2023 से दिनांक 07.06.2024 तक लगातार 11 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधनित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा, विपक्षी विभाग को, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू800707 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी किए जाने के आदेश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.08.2024 को किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मीटर संख्या-यू800707 पर रीडिंग 274 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा लगातार आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-4355 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान विद्युत मीटर संख्या-यू800707 पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू800707 पर दर्ज वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादिनी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


06/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 171/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री तेलुराम पुत्र श्री फुल सिंह, ग्राम-सिक्खर व पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

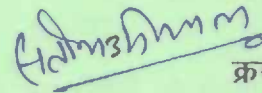
निर्णय

परिवादी श्री तेलुराम पुत्र श्री फुल सिंह, ग्राम-सिक्खर व पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2F324024537 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल बहुत अधिक आ रहा है जिसकी सूचना विभाग में पहले भी दी जा चुकी है। परन्तु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री विकास कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4735 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2F324024537 श्री तेलुराम पुत्र श्री फुल सिंह, ग्राम-सिक्खर व पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि० वा०, दिनांक 12.11.1985 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2F324024537 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 762 दिनांक 07.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2F324024537 पर स्थापित विद्युत मापक सं० 957385 की वर्तमान रीडिंग 9136 के०डब्लू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD2F324024537 का बीजक रू० 7350.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।



क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 12.11.1985 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.02.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 10.03.2024 से दिनांक 25.07.2024 तक, लगातार 4 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर अंतरिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में मीटर रीडिंग/खपत अधिक दर्शायी गई है जबकि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-957385 पर, मीटर रीडिंग/खपत कम दर्ज है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-957385 पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट/एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-957385 पर, मीटर रीडिंग 9136 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.01.2024 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग 9267 केडब्लूएच दर्शायी गई है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री तथा विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी द्वारा, दिनांक 14.12.2023 से दिनांक 25.07.2024 तक, लगभग 7.36 माह की अवधि में कुल 549 (9034-8485) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 7.36 माह की अवधि हेतु, आंकलन तथा गलत मीटर रीडिंग के आधार पर कुल 5202 यूनिट के विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि 549 यूनिट की तुलना में 847.51 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4735 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि गलत मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-957385 पर, दर्ज मीटर रीडिंग/खपत-9136 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय, में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को गलत मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-957385 पर, दर्ज मीटर रीडिंग/खपत-9136 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को गलत मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-957385 पर, दर्ज मीटर रीडिंग/खपत-9136 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)

न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तु)

तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)

उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 173/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री बिसारत पुत्र श्री सग्गीरा, ग्राम-घोसीपुरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री बिसारत पुत्र श्री सग्गीरा, ग्राम-घोसीपुरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD900B2721006 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल अधिक आने के कारण मीटर उतार लिया गया था और उसके बाद ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया था, जिस कारण उनका ट्यूबेल नहीं चल पाया और फसल खराब हो गई। अब जो बिल आया है वह भी बहुत ज्यादा आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री बिसारत उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4582 दिनांकित 05.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-आरडी900बी2721006, श्री बिसारत पुत्र श्री सग्गीरा के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच०पी०, दिनांक 14.05.2011 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या-आरडी900बी2721006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के द्वारा बकाया विद्युत बीजक रू०. 80,934.00 के सापेक्ष दिनांक 31.03.2022 को चैक के माध्यम से रू०. 81,000.00 धनराशि जमा करायी गयी। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के बकाया विद्युत बीजक के सापेक्ष जमा किया गया रू०. 81,000.00 धनराशि का चैक दिनांक 08.04.2022 को चैक बाऊंस हो गया। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सापेक्ष बकाया विद्युत

हरिद्वार
क्रमशः.....02

बीजक रू०. 1,08,616.00 धनराशि पर दिनांक 16.07.2022 को अस्थायी तौर पर विच्छेदित कर दिया गया। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के बकाया विद्युत बीजक के सापेक्ष चैक बाऊंस होने के कारण दिनांक 31.03.2023 को उत्तराखण्ड सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अधीन प्रपत्र 5 (आर०सी०) जारी कर दिया गया। उपभोक्ता श्री बिसारत पुत्र श्री सगीरा द्वारा उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सापेक्ष बकाया विद्युत बीजक का पूर्ण रूप से भुगतान किये जाने के पश्चात ही विद्युत संयोजन को सुचारु किया जाना संभव होगा।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

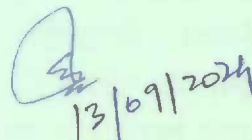
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एच०पी० भार पर, दिनांक 14.05.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2020 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 17.07.2020 से दिनांक 30.12.2021 तक, लगातार चार बिलिंग चक्रों के लिए आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत, प्राविधानित अध्याय 2.5.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या-316405 को दिनांक 20.03.2022 को मीटर संख्या-9133678 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तदपश्चात दिनांक 01.07.2022 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है। दिनांक 17.06.2021 को जारी बिल के सापेक्ष, परिवादी द्वारा रू० 81000.00 का चैक जारी किया गया है जो कि दिनांक 08.04.2022 को बाऊंस हुआ है। इससे पूर्व परिवादी द्वारा, विद्युत बिलों के सापेक्ष रू० 25000.00 का भुगतान, दिनांक 26.12.2020 को किया गया है। परिवादी द्वारा बिलों का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 16.07.2022 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। परिवादी द्वारा रू० 30000.00 का भुगतान दिनांक 29.08.2024 को किए जाने के उपरांत, कुल रू० 78682.00 की बकाया धनराशि परिवादी द्वारा देय है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत की मात्रा लगभग एक समान है। फलस्वरूप परिवादी के बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

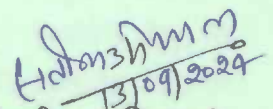
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 175/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री नूर अहमद पुत्र श्री मौ० इकबाल, ग्राम-लंडौरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मौहम्मद इकबाल पुत्र श्री नूर अहमद, ग्राम-लंडौरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD21506151030 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल अक्टूबर 2023 में अचानक से बहुत अधिक आया और फिर लगातार अधिक ही आता रहा, जिससे उनको लगा कि उनका मीटर तेज चल रहा है जिस कारण उन्होंने फरवरी 2024 में चैक मीटर लगवा लिया। चैक मीटर लगाने वाले ने जब मीटर चैक किया तो बताया कि उनके बिल में गलत रीडिंग भर दी गयी है जिस कारण उनका बिल अधिक आया है उनके द्वारा बिल ठीक कराने के लिये बिजली घर लंडौरा में भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अभी तक भी उनका बिल सही नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री मौहम्मद इकबाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4736 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD21506151030 श्री नूर अहमद C/O मो० इकबाल, मौहल्ला हजरत बिलाल, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि० वा० दिनांक 26.07.2009 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD21506151030 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 766 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21506151030

क्रमशः.....02

पर स्थापित विद्युत मापक सं० जीयू102929 की वर्तमान रीडिंग 428 के०डब्लू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD21506151030 का बीजक रू० 5784.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

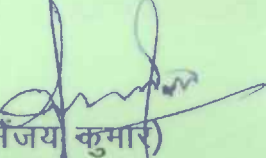
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 26.07.2009 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 01.12.2023 को एनआर आधार पर, दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 12.04.2024 तक आरडीएफ तथा दिनांक 20.05.2024 को, एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 18.10.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग (एफआर) 18244 के०डब्लू०एच० के आधार पर विद्युत खपत 10567 यूनिट के स्थान पर 2051 यूनिट का बिल जारी किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 26.02.2024 को चैक मीटर संख्या-जीयू102929 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 22.03.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-32174744 सही पाया गया है। सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या-510/16 के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 26.02.2024 को, मीटर संख्या-32174744 पर, मीटर रीडिंग 7948 दर्ज थी जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2023 को जारी बिल में, मीटर रीडिंग (एफआर) 18244 के०डब्लू०एच० दर्शायी गई है जो कि सही नहीं है। सिलिंग प्रमाण पत्र से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त मीटर में, दिनांक 22.03.2024 को मीटर रीडिंग 7976 के०डब्लू०एच० दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 09.09.2023 से दिनांक 22.03.2024 तक, लगभग 6.43 माह की अवधि में कुल 299 (7976-7677) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 6.43 माह की अवधि हेतु, गलत मीटर रीडिंग तथा अनंतिम बिल के सापेक्ष, आंकलन के आधार पर कुल 3021 यूनिट का बिल जारी किया गया है जो कि उक्त 299 यूनिट की तुलना में 910.37 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4736 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, गलत मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-32174744 पर दर्ज मीटर रीडिंग/खपत 7976 (दिनांक 22.03.2024) के०डब्लू०एच० तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू102929 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-428 के०डब्लू०एच०, के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय, में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, गलत मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-32174744 पर दर्ज मीटर रीडिंग/खपत-7976 (दिनांक 22.03.2024) के०डब्लू०एच० तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू102929 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-428 के०डब्लू०एच०, के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

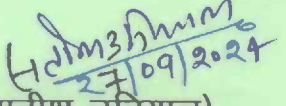
क्रमशः.....03

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, गलत मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-32174744 पर दर्ज मीटर रीडिंग/खपत-7976 (दिनांक 22.03.2024) केडब्लूएच तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू102929 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-428 केडब्लूएच, के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


27/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


27/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 176/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री सुभान पौत्र स्व० श्री साबिर, माता वाला हसन बाग, ग्राम-लंडौरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सुभान पौत्र स्व० श्री साबिर, माता वाला हसन बाग, ग्राम-लंडौरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD21508071251 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल माह फरवरी 2024 से आईडीएफ के आधार पर बनाया जा रहा है, लेकिन उनके मीटर की एमआरआई भी विभाग द्वारा कराई जा चुकी है। जबकि उनका मीटर बिल्कुल सही है, लेकिन तब भी बिल विभाग द्वारा सही नहीं किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री मौहम्मद इकबाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4670 दिनांकित 09.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD21508071251 श्री सुभान पौत्र स्व० श्री साबिर, माता वाला हसन बाग, ग्राम-लंडौरा, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 01.08.2000 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD21508071251 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लंडौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 640 दिनांक 27.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21508071251 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 80291441 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग

क्रमशः.....02

4551 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD21508071251 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 7,239.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर श्री साबिर के नाम पर दिनांक 01.08.2000 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक, लगातार, 06 बिलिंग चक्रों के लिए, एनआर/आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, तथा उनका मीटर ठीक से कार्य कर रहा है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक यूनिट दर्शायी गई है तथा विपक्षी द्वारा आईडीएफ के आधार पर, अनंतिम बिल जारी किए जा रहे हैं। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-80291441 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि तथा प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-80291441 पर, रीडिंग/खपत 4551 के०डब्ल्यूएच तथा मीटर ठीक पाया गया है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 6050 दर्शायी गई है तथा दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 15.05.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 1445 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4670, दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-80291441 पर दर्ज मीटर रीडिंग 4551 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-4551 के०डब्ल्यूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 178/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री साबिर पुत्र श्री शब्बीर, नगला इमरती, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

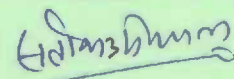
निर्णय

परिवादी श्री साबिर पुत्र श्री शब्बीर, नगला इमरती, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L211152746 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका कुछ समय पहले नया मीटर लगाया गया था। जिसका मीटर नं० यू835019 को एडवाइस करने के बाद भी उनका बिल नये मीटर के आधार पर न बनकर, आरडीएफ में आ रहा है, जिसके लिए वह दो से तीन बार प्रार्थना पत्र विभाग को दे चुके हैं साथ ही मीटर की एमआरआई भी करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल नये मीटर यू835019 जिसकी मौजूदा रीडिंग 2339 केडब्ल्यूएच पर एडवाइस करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंदौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री साबिर उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4737 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L211152746, श्री साबिर पुत्र श्री शब्बीर, नगला इमरती, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि० वा०, दिनांक 27.04.2012 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L211152746 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लंदौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 767 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1L211152746 पर स्थापित पुराना विद्युत मापक सं० 84535178 को आईडीएफ के आधार पर, दिनांक 27.08.2023 नया विद्युत मापक सं०



क्रमशः.....02

यू835019 द्वारा बदला गया है। नये मापक यू835019 की वर्तमान रीडिंग 9136 के0डब्लू0एच0 के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD1L211152746 का बीजक रू0 23272.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

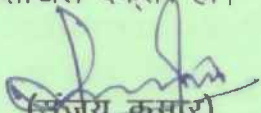
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

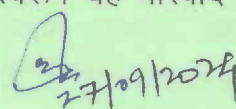
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 27.04.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.05.2023 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं तदपश्चात दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 29.07.2024 तक, लगातार, 12 बिलिंग चक्रों के लिए, एनआर/आरडीएफ आधार पर, बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। परिवादी के संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-84535178 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, मीटर संख्या-यू835019 द्वारा, दिनांक 27.08.2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त नये मीटर संख्या-यू835019 को, लगभग 11 माह के बाद भी, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन से संबंधित खाते में दर्ज नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री तथा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन किए जाने पर विदित होता है कि वर्तमान में परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू835019 पर, दिनांक 27.08.2023 से दिनांक 14.08.2024 तक, लगभग 11.56 माह की अवधि में कुल 2417 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 11.56 माह की अवधि में आंकलन के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए कुल 6306 यूनिट का विद्युत बिल, परिवादी को जारी किया गया है जो कि उक्त 2417 यूनिट की तुलना में 160.90 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4737 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आंकलन के आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-यू835019 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग 2417 के0डब्लू0एच के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

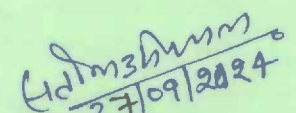
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आंकलन के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-यू835019 पर दर्ज, वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आंकलन के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-यू835019 पर दर्ज, वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित करने के चलते परिवादी की शिकायत का समाधान करने के फलस्वरूप यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी0 एस0 धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 183/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री मौ० नौशाद पुत्र श्री यासीन, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

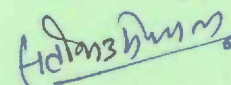
निर्णय

परिवादी श्री मौ० नौशाद पुत्र श्री यासीन, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311150349 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर खराब होने के कारण बदला गया था। परन्तु बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अखलाक उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4738 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L311150349, श्री मौ० नौशाद पुत्र श्री यासीन, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि० वा०, दिनांक 01.06.2007 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311150349 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 768 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1L311150349 पर स्थापित मापक सं० जीयू135842 की की रीडिंग के आधार पर बनाये जा रहे हैं। विद्युत मापक की वर्तमान रीडिंग-1690 के०डब्ल्यू०एच० है संशोधित किये जाने के उपरान्त बिल की धनराशि रू० 17238.00 है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

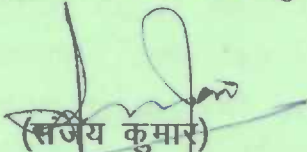
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

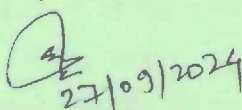
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 01.06.2007 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 11.06.2024 तक, एनआर/आईडीएफ आधार पर तथा दिनांक 02.07.2024 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-जीयू386186 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, मीटर संख्या-जीयू135842 द्वारा, दिनांक 12.06.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त दोषपूर्ण मीटर संख्या-जीयू386186 के सापेक्ष दिनांक 11.03.2024 से दिनांक 11.06.2024 तक, लगभग 03 माह की अवधि हेतु कुल 1243 यूनिट विद्युत की मात्रा का आंकलन करते हुए, विद्युत बिल जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त 03 माह की अवधि में, विपक्षी विभाग द्वारा लगभग 414 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है जो कि परिवादी को पूर्व में, वास्तविक विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में सही प्रतीत होता है। इसी प्रकार परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू135842 पर, दिनांक 12.06.2024 से दिनांक 08.09.2024 तक, लगभग दो माह 26 दिनों की अवधि में कुल 1690 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 02.07.2024, दिनांक 02.08.2024 तथा दिनांक 08.09.2024 के माध्यम से जारी विद्युत बिलों में, दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 08.09.2024 तक, लगभग 2 माह 27 दिन की अवधि हेतु 2111 (481+1395+235) यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जो कि उक्त 1690 यूनिट की तुलना में 421 (2111-1690) यूनिट अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

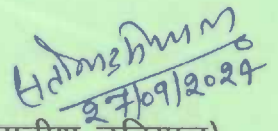
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 08.09.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.03.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 12.06.2024 से दिनांक 08.09.2024 तक की अवधि हेतु, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू135842 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग 1690 केडब्ल्यूएच के सापेक्ष औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को, संशोधित बिल जारी करने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को, दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 08.09.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.03.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 12.06.2024 से दिनांक 08.09.2024 तक की अवधि हेतु, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू135842 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग 1690 केडब्ल्यूएच के सापेक्ष औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(राजिव कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी0 एस0 धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चिनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 191/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री शराफत पुत्र श्री रहमत, ग्रा० भुक्कनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

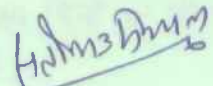
निर्णय

परिवादी श्री शराफत पुत्र श्री रहमत, ग्रा० भुक्कनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9L196722193 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल गलत आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री शाहनवाज उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4531 दिनांकित 03.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD9L196722193 श्री शराफत पुत्र श्री रहमत, ग्रा० भुक्कनपुर, लण्डौरा, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु 10 एच०पी० भार में दिनांक 13.05.2013 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD9L196722193 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.07.2024 को खराब पुराना विद्युत मापक सं० 9133553 के सापेक्ष नया विद्युत मापक सं० 9579149 स्थापित किया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD9L196722193 का बीजक पिछले 2 एमयू के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD9L196722193 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 20078.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

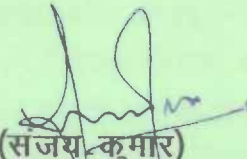
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एच०पी० भार पर, दिनांक 13.05.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.12.2023 तक एमयू आधार पर तथा दिनांक 08.08.2024 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 08.08.2024 को आईडीएफ आधार पर जारी बिल में, दिनांक 24.12.2023 से दिनांक 08.08.2024 तक, लगभग 7.46 माह की अवधि हेतु कुल 56431 यूनिट विद्युत खपत का आंकलन किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 7.46 माह की अवधि में लगभग 7564 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 28.12.2022 से दिनांक 24.12.2023 तक, लगभग 12 माह की अवधि में कुल 13622 (26816-13194) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में लगभग 1135 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि 7564 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत की तुलना में 84.99 प्रतिशत कम है। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई आंकलित विद्युत की मात्रा, पूर्व में वास्तविक विद्युत खपत के अनुसार निर्गत विद्युत बिलों के औसत मासिक खपत के सापेक्ष सही नहीं है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4531 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या-9133553 को दिनांक 28.07.2024 को मीटर संख्या-9579149 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है तथा दिनांक 08.08.2024 को आईडीएफ आधार पर जारी बिल को पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के अनुसार, संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा पत्रावली पर दाखिल लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

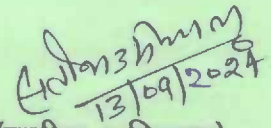
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.08.2024 को आईडीएफ आधार पर जारी बिल को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की दर से संशोधित बिल, जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 195/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री शमशाद पुत्र श्री यामिन, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शमशाद पुत्र श्री यामिन, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311152205 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल बहुत दिनों से ज्यादा धनराशि का आ रहा है जो कि आज तक सही नहीं हुआ है। उनके मीटर में रीडिंग 12075 है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शमशाद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4581 दिनांकित 05.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L311152205 श्री शमशाद पुत्र श्री यामिन, भगवानपुर चन्दनपुर, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 17.11.2011 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311152205 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक सं० 726 दिनांक 04.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1L311152205 पर स्थापित विद्युत मापक सं० 62288434 में वर्तमान रीडिंग 12093 के०डब्लू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD1L311152205 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० -6188.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

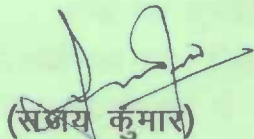
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

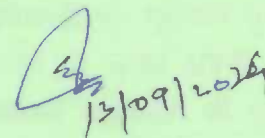
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 17.11.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.05.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 13.05.2024 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 12274 केडब्लूएस दर्शायी गई है जबकि परिवादी के कथनानुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-62288434 पर रीडिंग 12075 केडब्लूएस दर्ज है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-62288434 पर दर्ज रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.08.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-62288434 पर रीडिंग/खपत 12093 केडब्लूएस दर्ज पाई गई है। अतः स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 13.05.2024 तक, गलत मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4581 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-62288434 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा जारी सत्यापित लेजर की प्रति से होती है।

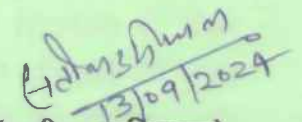
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 196/2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री राजेश कुमार पौत्र श्री टिक्का सिंह, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

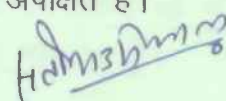
निर्णय

परिवादी श्री राजेश कुमार पौत्र श्री टिक्का सिंह, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9L391520621 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके पहले मीटर का बिल ज्यादा आने के कारण नया मीटर लगाया गया है लेकिन पिछले मीटर का बिल रु० 91428.00 है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री राजेश कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4530 दिनांकित 03.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD9L391520621 श्री टिक्का सिंह पुत्र श्री मुंशी राम, ग्रा० भगवानपुर चन्दनपुर, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच०पी०, दिनांक 01.06.2001 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD9L391520621 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 15.05.2024 को पुराना विद्युत मापक सं० 380739 के खराब होने के सापेक्ष नया विद्युत मापक सं० 9573026 स्थापित किया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD9L391520621 का बीजक पिछले 2 एमयू के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD9L391520621 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु० 29318.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एच०पी० भार पर दिनांक 01.01.2001 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.07.2021 तक एमयू आधार पर, दिनांक 18.01.2022 से दिनांक 15.07.2023 तक एनआर, दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर तथा दिनांक 16.07.2024 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिल में, दिनांक 08.07.2021 से दिनांक 30.12.2023 तक, 29 माह की अवधि हेतु कुल 45160 यूनिट की विद्युत खपत का आंकलन किया गया है, जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत से अत्यधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-380739 के दोषपूर्ण होने के बावजूद, एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा उक्त दोषपूर्ण मीटर संख्या-380739 को, दिनांक 15.03.2024 को मीटर संख्या-9573026 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में मंच द्वारा, प्रश्नगत दोषपूर्ण मीटर संख्या-380739 के सापेक्ष निर्गत अनंतिम बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी को जारी किए जाने के विपक्षी विभाग को निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4532 दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष जारी अनंतिम बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

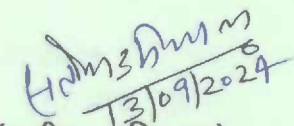
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सिजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 199/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्रीमती हनीफा पत्नी श्री इस्राईल, वार्ड नं० 10, बाहरी किला, नियर ईदगाह, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती हनीफा पत्नी श्री इस्राईल, वार्ड नं० 10, बाहरी किला, नियर ईदगाह, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L421143766 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनका बिल अधिक धनराशि का आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अमीर आलम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4639 दिनांकित 07.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L421143766 श्रीमती हनीफा पत्नी श्री इस्राईल, वार्ड नं० 10, बाहरी किला, नियर ईदगाह, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 06.12.2022 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L421143766 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 633 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD2L421143766 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू912458 की वर्तमान रीडिंग 3217 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD2L421143766 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 7,503.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता

क्रमशः.....02

के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

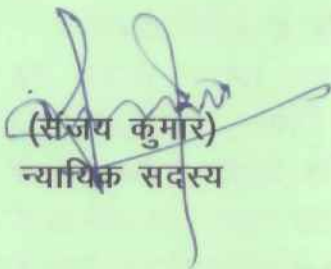
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

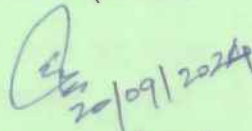
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 06.12.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 22.12.2023 से दिनांक 23.05.2024 तक, लगातार, 06 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादिनी प्रतिनिधि द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू912458 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू912458 पर, रीडिंग/खपत 3217 केडब्ल्यूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 4017 दर्शायी गई है तथा दिनांक 22.12.2023 से दिनांक 23.05.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 2403 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादिनी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4639, दिनांक 07.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू912458 पर दर्ज मीटर रीडिंग 3217 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

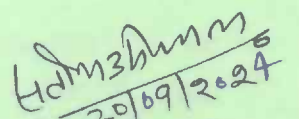
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-3217 केडब्ल्यूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपमोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 201/2024

दिनांक : 06.09.2024

परिवादी :- श्रीमती स्वाति सैनी पत्नी श्री राहुल कुमार सैनी, ग्राम-निजामपुर, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

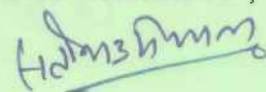
परिवादिनी श्रीमती स्वाति सैनी पत्नी श्री राहुल कुमार सैनी, ग्राम-निजामपुर, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD2F127105542 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनको माह जनवरी 2024 का विद्युत बिल 760 यूनिट के स्थान पर 2766 यूनिट का त्रुटिपूर्ण बिल भेजा गया था जो कि पूर्णतः गलत है। 2766 यूनिट आज दिनांक तक भी मीटर में नहीं है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अरविन्द कुमार सैनी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि ने मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में अपने तर्क रखे। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4356 दिनांकित 28.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD2F127105542 श्रीमती स्वाति सैनी पत्नी श्री राहुल कुमार सैनी के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट भार में दिनांक 22.01.2023 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक 615 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD2F127105542 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या-यू913263 की वर्तमान रीडिंग 1831 कैंडब्लूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD2F127105542 का बीजक संशोधित किए जाने के उपरांत





क्रमशः.....02

रु० 5574.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

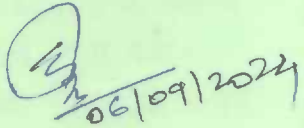
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 22.01.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2024 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2023 को, मीटर रीडिंग-2766 (एफआर) के आधार पर, दिनांक 09.10.2023 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि हेतु कुल 2212 यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

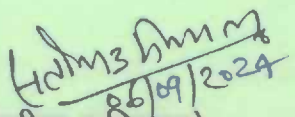
सुनवाई के दौरान परिवादिनी द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि उनके संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू913263 पर रीडिंग-2766 दर्ज नहीं है। मंच द्वारा, विपक्षी विभाग को प्रश्नगत मीटर पर दर्ज रीडिंग की पुष्टि हेतु स्थलीय निरीक्षण किए जाने के आदेश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत मीटर पर, दिनांक 21.08.2024 को रीडिंग 1831 केंडब्लूएच दर्ज पाई गई है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2023 को जारी विद्युत बिल में, मीटर रीडिंग-2766 (एफआर) केंडब्लूएच दर्शायी गई है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, गलत रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4356 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू913263 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, परिवादिनी को संशोधित बिल जारी कर दिया गया है, तथा परिवादिनी द्वारा उक्त संशोधित बिल का भुगतान कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू913263 पर दर्ज वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादिनी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 204 / 2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री जब्बार हुसैन पुत्र श्री एहसान ईलाही, ग्राम-जैनपुर झंझेड़ी, पोस्ट-लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जब्बार हुसैन पुत्र श्री एहसान ईलाही, ग्राम-जैनपुर झंझेड़ी, पोस्ट-लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L421153092 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 17.10.2023 को रू० 2,721.00 का बिल आया था। उसके बाद दिनांक 09.11.2023 को रू० 19,298.00 का बिल आया था। उसके बाद ना तो कोई बिल आया और न ही उनका बिल ठीक हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंदौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री माहिर हुसैन उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4669 दिनांकित 09.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L421153092 श्री जब्बार हुसैन पुत्र श्री एहसान ईलाही, ग्राम-जैनपुर झंझेड़ी, पोस्ट-लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 18.08.2012 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L421153092 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लंदौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 632 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD2L421153092 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या एल19278 की वर्तमान रीडिंग 6251 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD2L421153092 का

क्रमशः.....02

बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 8,540.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 18.08.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 23.04.2024 को, 01 बिलिंग चक्र के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2024 के पश्चात, निर्धारित मासिक समयावधि के अनुसार, 04 बिलिंग चक्रों के लिए, बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी प्रतिनिधि द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एल19278 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एल19278 पर, रीडिंग/खपत 6159 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 7671 दर्शायी गई है तथा दिनांक 23.04.2024 को, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 2010 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4669, दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एल19278 पर, वर्तमान में दर्ज मीटर रीडिंग 6251 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-6159 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल बफ़तर हो।

(संजय कुमार)

न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तु)

तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)

उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत) 80 बसंत बिहार फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 207 / 2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम-हरचन्दनपुर, लंढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम-हरचन्दनपुर, लंढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या- RD2F126154232 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर एक साल से आरडीएफ हो रखा है जिस कारण उनका बिल रीडिंग में न आकर आरडीएफ के आधार पर आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री रवि कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4580 दिनांकित 05.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2F126154232, श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम-हरचन्दनपुर, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 09.01.2015 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2F126154232 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लंढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 727 दिनांक 04.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2F126154232 पर स्थापित विद्युत मापक सं० 50548596 की वर्तमान रीडिंग 11329 के०डब्लू०एच० के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD2F126154232 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 13460.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

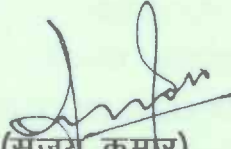
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

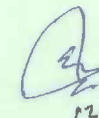
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 09.06.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.06.2021 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 25.08.2021 से दिनांक 18.05.2024 तक लगातार 14 बिलिंग चक्रों हेतु, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत, प्राविधानित अध्याय 2.5.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50548596 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने के निर्देश विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच द्वारा निर्गत उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.08.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या-50548596 पर, रीडिंग/खपत 11329 कंडब्लूएच दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, वास्तविक विद्युत खपत से कई गुना अधिक मात्रा में, आंकलन के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4580 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-50548596 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

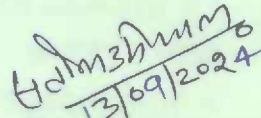
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50548596 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर परिवादी को संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 210/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री दानिश पुत्र स्व0 श्री तालिब, वार्ड नं0 5, बाहरी किला, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दानिश पुत्र स्व0 श्री तालिब, वार्ड नं0 5, बाहरी किला, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD21508153740 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके मीटर में रीडिंग कम है मगर उनका बिल ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री दानिश उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4638 दिनांकित 07.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD21508153740 श्री दानिश पुत्र स्व0 श्री तालिब, वार्ड नं0 5, बाहरी किला, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 22.02.2014 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD21508153740 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 638 दिनांक 27.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD21508153740 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू471024 की वर्तमान रीडिंग 7286 के0डब्ल्यू0एच0 के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD21508153740 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. -4,504.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के अग्रिम बीजक में समायोजित कर दी जायेगी।

क्रमशः.....02

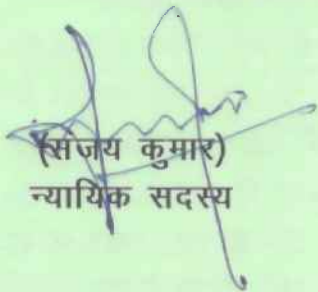
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

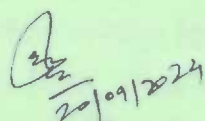
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर श्री तालिब के नाम पर दिनांक 22.02.2014 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 28.05.2024 तक, लगातार, 06 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू471024 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू471024 पर, रीडिंग/खपत 7286 कंडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.11.2024 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 8631 दर्शायी गई है तथा दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 28.05.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 4059 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4638, दिनांक 07.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू471024 पर दर्ज मीटर रीडिंग 7286 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

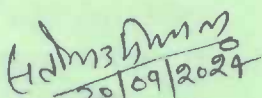
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-7286 कंडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश जैन्याल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 211/2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल मुबारिक, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

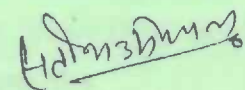
निर्णय

परिवादी श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल मुबारिक, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD6L166969897 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनका बिल आरडीएफ में काफी समय से आ रहा है, कई बार उनके द्वारा एप्लीकेशन भी दे दी गई है, लेकिन बिल आरडीएफ में ही आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सैय्याद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4724 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD6L166969897 श्री शहजाद पुत्र श्री अब्दुल मुबारिक, ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर, लण्ढौरा, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 18.02.2021 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या-RD6L166969897 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 763 दिनांक 07.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या एसएस14905993 की वर्तमान रीडिंग 3087 कंडब्लूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु0. 9,619.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।



क्रमशः.....02

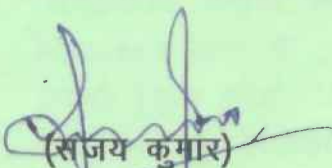
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

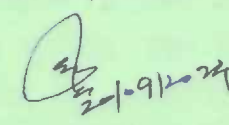
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 18.02.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.03.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 26.04.2023 से दिनांक 01.05.2024 तक, लगातार, 10 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी प्रतिनिधि द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एसएस14905993 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एसएस14905993 पर, रीडिंग/खपत 3087 कंडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.03.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 3312 दर्शायी गई है तथा दिनांक 26.04.2023 से दिनांक 01.05.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 8128 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4724, दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एसएस14905993 पर दर्ज मीटर रीडिंग 3087 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

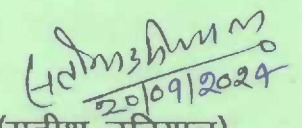
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-3087 कंडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 214 / 2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्री अताउर रहमान वास्ते निसार अहमद, चमन लाल डिग्री कालेज, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

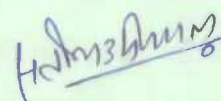
निर्णय

परिवादी श्री अताउर रहमान वास्ते निसार अहमद, चमन लाल डिग्री कालेज, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD900B1690379 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनका समस्त बिल जमा है, जिसके बाद भी गलत बिल आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अताउर रहमान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4533 दिनांकित 03.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD900B1690379 श्री निसार अहमद पुत्र श्री इब्राहिम, लण्डौरा, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच०पी०, दिनांक 31.03.1995 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD900B1690379 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.02.2024 को खराब पुराना विद्युत मापक सं० 9140598 के सापेक्ष नया विद्युत मापक सं० 9545348 स्थापित किया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD900B1690379 का बीजक पिछले 2 एमयू के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD900B1690379 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 13665.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

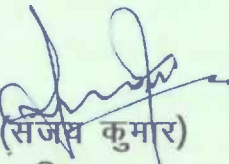
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

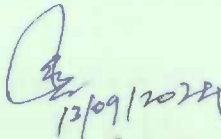
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एच०पी० भार पर, दिनांक 31.03.1995 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 03.01.2023 को एमसी आधार पर, दिनांक 15.07.2023 को एनआर, दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ तथा दिनांक 25.06.2024 को एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 30.12.2023 को जारी विद्युत बिल में, दिनांक 03.01.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक, लगभग 11.83 माह की अवधि हेतु, लगभग 3145 यूनिट प्रतिमाह की दर से कुल 37201 यूनिट की विद्युत खपत का, आंकलन के आधार पर, अनंतिम बिल (आईडीएफ) जारी किया गया है जबकि परिवादी द्वारा दिनांक 08.06.2021 से दिनांक 01.07.2022 तक, लगभग 13 माह की अवधि में औसतन 963 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 3145 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 69.38 प्रतिशत कम है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या-9140598 के सापेक्ष, दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर जारी बिल में, आंकलन के आधार पर दर्शायी गई औसत विद्युत खपत की मात्रा, पूर्व में दर्ज वास्तविक औसत विद्युत खपत की तुलना में लगभग 226.58 प्रतिशत अधिक दर्शाया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। सुनवाई दौरान मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आंकलन के आधार पर जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4533 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या-9140598 के सापेक्ष जारी आईडीएफ बिलों को पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा जारी सत्यापित लेजर की प्रति से होती है।

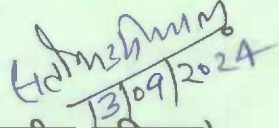
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को नियमानुसार संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 222/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री रंघर इलाही पुत्र श्री मोहरी, ग्राम-पीरपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

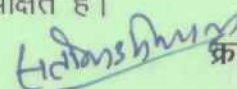
निर्णय

परिवादी श्री रंघर इलाही पुत्र श्री मोहरी, ग्राम-पीरपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L322073665 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल दिनांक 05.08.2023 से पहले ठीक आ रहा था, लेकिन दिनांक 05.08.2023 का बिल मीटर की खराबी के कारण 26 दिन का रु. 11,593.00 का आया था और उसके बाद से बिल ठीक आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री रंघर इलाही उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4739 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L322073665, श्री रंघर इलाही पुत्र श्री मोहरी, ग्राम-पीरपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि० वा०, दिनांक 31.07.1998 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L322073665 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 772 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2L322073665 के बीजक विद्युत मापक की रीडिंग के आधार पर बनाये जा रहे हैं। विद्युत मापक सं० जी 195951 की वर्तमान रीडिंग 6507 के०डब्ल्यू०एच० है। विद्युत सं० RD2L322073665 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु० 19836.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

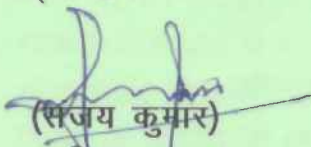
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

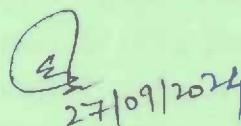
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 31.07.1998 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.08.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.08.2023 को जारी विद्युत बिल में के अनुसार परिवादी द्वारा, दिनांक 09.06.2023 से दिनांक 16.08.2023 तक, लगभग 2.23 माह की अवधि में, लगभग 897 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज करते हुए, कुल 2000 यूनिट की विद्युत खपत की गई है जो कि पूर्व में जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होती है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 08.10.2018 से दिनांक 06.12.2019 तक, लगभग 14.26 माह की अवधि में, कुल 1627 (2406-779) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 14.26 माह की अवधि में, लगभग 116 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 06.12.2019 से दिनांक 16.08.2023 तक, लगभग 28.33 माह की अवधि में, कुल 3352 (5758-2406) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 28.33 माह की अवधि में, लगभग 118 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 116 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में सही प्रतीत होती है। परिवादी द्वारा, दिनांक 20.05.2025 से दिनांक 11.08.2024 तक, लगभग 2.7 माह की अवधि में भी लगभग 117 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2019 से दिनांक 16.08.2023 के मध्य, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-जी195951 पर, समय-समय पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल जारी नहीं किए गए तथा दिनांक 16.08.2023 को जारी बिल में, पूर्व की अवशेष विद्युत खपत की मात्रा को भी सम्मिलित करते हुए, अत्यधिक विद्युत खपत (2000 यूनिट) का बिल, परिवादी को जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

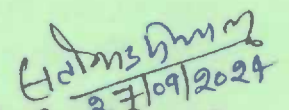
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 14.02.2020 से दिनांक 16.08.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 06.12.2019 से दिनांक 16.08.2023 तक की अवधि हेतु, दिनांक 06.12.2019 को मीटर रीडिंग (आईआर) 2406 तथा दिनांक 16.08.2023 को (एफआर) 5758 केडब्लूएच मानते हुए, मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को, दिनांक 14.02.2020 से दिनांक 16.08.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 06.12.2019 से दिनांक 16.08.2023 तक की अवधि हेतु, दिनांक 06.12.2019 को मीटर रीडिंग (आईआर) 2406 तथा दिनांक 16.08.2023 को (एफआर) 5758 केडब्लूएच मानते हुए, मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


27/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


27/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत) 80, बसंत बिहार फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 224/2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्रीमती शांजाह बेगम पत्नी श्री भुरा, वार्ड नं०-09, हजी के कांटे के सामने, मातावाला हसन बाग, पोस्ट-लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

श्री सतीश उनियाल

न्यायिक सदस्य

तकनीकी सदस्य

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शांजाह बेगम पत्नी श्री भुरा, वार्ड नं०-09, हजी के कांटे के सामने, मातावाला हसन बाग, पोस्ट-लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD21508154416 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर सही चल रहा है परन्तु उनका बिल मीटर आईडीएफ के आधार पर आ रहा है। उनके मीटर की एमआरआई भी हो चुकी है। उनके मीटर में रीडिंग 1599 केडब्ल्यूएच है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री दानिश उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4740 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD21508154416, श्रीमती शाहजाह बेगम पत्नी श्री भुरा, वार्ड नं०-09, हजी के कांटे के सामने, मातावाला हसन बाग, पोस्ट-लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि० वा०, दिनांक 21.07.2015 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD21508154416 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 761 दिनांक 07.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21508154416 पर स्थापित मापक सं० 5057306 की एमआरआई रिपोर्ट

क्रमशः.....02

में वर्तमान रीडिंग 1637 के०डब्लू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD21508154416 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 3244.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

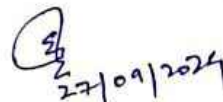
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 21.07.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.08.2018 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 07.10.2018 से दिनांक 17.07.2024 तक, आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575306 पर, दिनांक 21.08.2024 को, मीटर रीडिंग 1637 के०डब्लू०एच दर्ज है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, आईडीएफ आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-4740 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि एमआरआई पर दर्ज मीटर रीडिंग-1687 के०डब्लू०एच के आधार पर, परिवादिनी को जारी विवादित बिलों को संशोधित करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

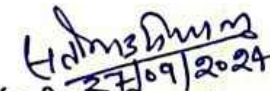
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को जारी विवादित बिलों को, एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग-1687 के०डब्लू०एच के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को जारी विवादित बिलों को, एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 225 / 2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्रीमती दीपा पत्नी श्री जोनू कुमार, भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दीपा पत्नी श्री जोनू कुमार, भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311942361 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके मीटर की रीडिंग मीटर रीडर द्वारा गलत पोस्ट करने के कारण उनका बिल गलत आ रहा है। वह बहुत गरीब परिवार से हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी की प्रतिनिधि भाल्लों उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4637 दिनांकित 06.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L311942361 श्रीमती दीपा पत्नी श्री जोनू कुमार, भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 कि०वा० दिनांक 05.03.2022 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311942361 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 639 दिनांक 27.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD1L311942361 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या एसएस15583213 की वर्तमान रीडिंग 7478 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311942361 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 11,908.00 धनराशि है, जो कि

क्रमशः.....02

उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 05.03.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 16.03.202 के पश्चात, निर्धारित मासिक समयावधि के पश्चात 05 बिलिंग चक्रों के लिए बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-एसएस15583213 पर, रीडिंग/खपत 7478 केडब्लूएच पायी गई है। इस प्रकार परिवादिनी प्रतिनिधि द्वारा, दिनांक 16.03.2024 से दिनांक 17.08.2024 तक, लगभग 05 माह की अवधि में कुल 1002 (7478-6476) यूनिट विद्युत की खपत दर्ज की गई है। अर्थात् परिवादिनी द्वारा उक्त 05 माह की अवधि में, लगभग 200 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को जारी बिल के अनुसार, दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 16.03.2024 तक, लगभग एक माह की अवधि में कुल 841 (6476-5355) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। जो कि उक्त 200 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 320.50 प्रतिशत अधिक है। उक्त से यह विदित होता है कि दिनांक 16.03.2024 को जारी बिल में गलत (अधिक) मीटर रीडिंग के आधार पर, अत्यधिक विद्युत खपत दर्शाते हुए जारी किया गया है। दिनांक 13.02.2024 को मीटर रीडिंग आईआर-5355 तथा दिनांक 17.08.2024 को मीटर रीडिंग एफआर-7478 केडब्लूएच के आधार पर, आगणित मासिक विद्युत खपत 354 यूनिट, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज मासिक औसत विद्युत की तुलना में सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.03.2024 को जारी बिल को निरस्त करते हुए, दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 17.08.2024 तक की अवधि हेतु, दिनांक 13.02.2024 को मीटर रीडिंग (आईआर) 5355 तथा दिनांक 17.08.2024 को मीटर रीडिंग (एफआर) 7478 केडब्लूएच मानते हुए संशोधित बिल, परिवादिनी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 16.03.2024 को जारी बिल को निरस्त करते हुए, दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 17.08.2024 तक की अवधि हेतु, दिनांक 13.02.2024 को मीटर रीडिंग (आईआर) 5355 तथा दिनांक 17.08.2024 को मीटर रीडिंग (एफआर) 7478 केडब्लूएच मानते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)

न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तु)

तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)

उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 231/2024

दिनांक : 06.09.2024

परिवादी :- श्री मौ0 शकील पुत्र श्री मजीद, ग्राम-जैनपुर झंझौड़ी, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

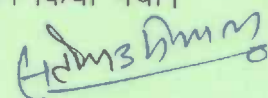
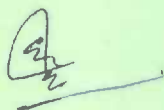
परिवादी श्री मौ0 शकील पुत्र श्री मजीद, ग्राम-जैनपुर झंझौड़ी, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD2L421157446 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल आरडीएफ में चला आ रहा है और मीटर में भी रीडिंग कम है लेकिन उनका बिल बहुत अधिक धनराशि का दिया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री मौ0 उस्मान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4357 दिनांकित 28.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD2L421157446 श्री मौ0 शकील पुत्र श्री मजीद के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट भार में दिनांक 25.02.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक 628 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD2L421157446 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या-यू415882 की वर्तमान रीडिंग 4175 केडब्ल्यूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD2L421157446 का बीजक संशोधित किए जाने के उपरांत रू0 3410.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



क्रमशः.....02

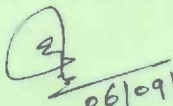
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 25.02.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.04.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं तदपश्चात दिनांक 10.06.2024 तथा दिनांक 24.07.2024 को आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 05.03.2024 तथा 12.04.2024 को जारी बिल के अनुसार परिवादी द्वारा, दिनांक 09.02.2024 से दिनांक 12.04.2024 तक, लगभग दो माह की अवधि में कुल 3448 (7043-3595) यूनिट विद्युत की खपत की गई है जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष अत्यधिक है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

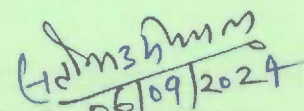
सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी विभाग को परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू415882 पर दर्ज खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को जारी किए जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2024 को किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मीटर संख्या-यू415882 पर रीडिंग 4175 दर्ज पाई गई है जबकि दिनांक 05.03.2024 तथा दिनांक 12.04.2024 को मीटर रीडिंग क्रमशः 6836 व 7043 (एफआर) के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त बिल, गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-4357 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान विद्युत मीटर संख्या-यू415882 पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू415882 पर दर्ज वास्तविक खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी करते हुए परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


06/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


06/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 234 / 2024

दिनांक : 13.09.2024

परिवादी :- श्रीमती मुनाजरा पत्नी श्री शमीम, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

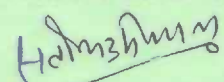
परिवादिनी श्रीमती मुनाजरा पत्नी श्री शमीम, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या—RD1L311759298 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल अधिक धनराशि का बनाया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री शमीम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4453 दिनांकित 30.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L311759298, श्रीमती मुनाजरा पत्नी श्री शमीम, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा०, दिनांक 26.04.2019 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311759298 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 629 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1L311759298 पर स्थापित विद्युत मापक सं० यू379949 की वर्तमान रीडिंग 3501 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD1L311759298 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 16977.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

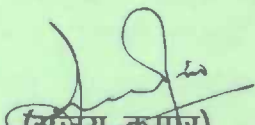
 क्रमशः.....02

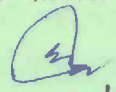
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 26.04.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.12.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 12.07.2024 तक, लगातार 8 बिलिंग चक्रों हेतु, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत, प्राविधानित अध्याय 2.5.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मंच द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू379949 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने के निर्देश विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच द्वारा निर्गत उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.08.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत मीटर संख्या-यू379949 पर रीडिंग/खपत 3501 केडब्ल्यूएच दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, वास्तविक विद्युत खपत से कई गुना अधिक मात्रा में, आंकलन के आधार पर, विद्युत बिल परिवादिनी को जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4453 दिनांक 30.08.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू379949 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

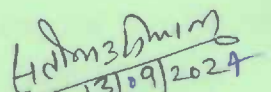
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू379949 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर परिवादिनी को संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/09/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/09/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 236 / 2024

दिनांक : 20.09.2024

परिवादी :- श्री तसव्वर पुत्र श्री बाबू, मकान नं0-112, ग्राम-मुण्डलाना, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री तसव्वर पुत्र श्री बाबू, मकान नं0-112, ग्राम-मुण्डलाना, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211154500 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल आरडीएफ होने के कारण ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री तसव्वर उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4636 दिनांकित 07.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1F211154500 श्री तसव्वर पुत्र श्री बाबू, मकान नं0-112, ग्राम-मुण्डलाना, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 26.04.2019 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1F211154500 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 641 दिनांक 27.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या RD1F211154500 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 50575284 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान रीडिंग 4396 के0डब्ल्यू0एच0 के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1F211154500 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. -1,329.74 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के अग्रिम बीजक में समायोजित कर दी जायेगी।

Handwritten signature

क्रमशः.....02

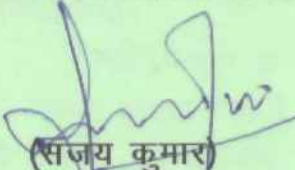
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

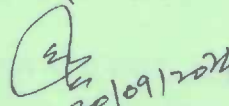
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 17.07.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.05.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 16.06.2024 तथा दिनांक 26.07.2024 को, लगातार, 02 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। सुनवाई के दौरान, परिवादी द्वारा, मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज रीडिंग/खपत कम है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में अधिक दर्शायी गई है। मंच द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575284 पर दर्ज वास्तविक रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश, विपक्षी विभाग को दिए गए। मंच के निर्देशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.08.2024 को संपादित, स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575284 पर, रीडिंग/खपत 4396 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.05.2024 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 4550 दर्शायी गई है तथा दिनांक 16.06.2024 तथा दिनांक 26.07.2024 को, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल 867 यूनिट विद्युत का आंकलन करते हुए परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जो कि किसी भी दशा में सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4336, दिनांक 07.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575284 पर दर्ज मीटर रीडिंग 4396 के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

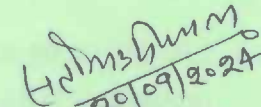
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग-4396 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 237 / 2024

दिनांक : 27.09.2024

परिवादी :- श्री खुर्शीद पुत्र हनीफ, ग्राम-मुण्डलाना, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

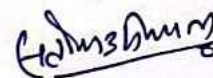
परिवादी श्री खुर्शीद पुत्र हनीफ, ग्राम-मुण्डलाना, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211086258 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल आरडीएफ होने के कारण ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सरफराज उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4457 दिनांकित 30.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1F211086258 श्री खुर्शीद पुत्र हनीफ, ग्राम-मुण्डलाना, लण्ढौरा, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 कि0वा0 दिनांक 19.03.1999 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1F211086258 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 642 दिनांक 27.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत मापक संख्या 5032798 के सापेक्ष दिनांक 31.03.2024 में चैक मीटर संख्या जीयू102219 स्थापित किया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराने मीटर में 03 प्रतिशत अन्तर पाया गया। विद्युत संयोजन सं0 RD1F211086258 पर स्थापित नये विद्युत मापक संख्या जीयू102219 की वर्तमान रीडिंग 621 के0डब्ल्यू0एच0 के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1F211086258 के सापेक्ष बीजक की धनराशि रु0 27329.00 है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।



 क्रमशः.....02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 19.03.1999 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.03.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 06.03.2024 के पश्चात कोई भी विद्युत बिल जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-50032798 की शुद्धता जांचे जाने हेतु, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.03.2024 को चैक मीटर संख्या-जीयू102219 स्थापित किया गया तथा उक्त चैक मीटर को दिनांक 26.04.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार मीटर संख्या-50032798, चैक मीटर की तुलना में 3.00 प्रतिशत तेज पाया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या-50032798 को मीटर संख्या-जीयू102219 द्वारा दिनांक 31.03.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री तथा मीटर संख्या-50032798 की एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त मीटर पर दर्ज मीटर रीडिंग/खपत के अनुसार ही, परिवादी को विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।